

वस्तु एवं सेवा कर मार्गदर्शिका



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE

Statutory body under an Act of Parliament



© भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

कॉपीराइट: भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान। सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी भाग भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रूप में या किसी माध्यम से अनुवाद या कॉपी नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण : जून, 2017

द्वितीय संस्करण : जनवरी, 2018

मूल्य : ₹100

इस पुस्तक को अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है, इस पुस्तक की किसी भी त्रुटि या चूक या कानूनी प्रावधानों के संशोधन के लिए प्रकाशक एवं संस्थान किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है।

प्रकाशक:

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003

फोन: 41504444, 45341000, फैक्स: 24626727

वेबसाइट: www.icsi.edu ईमेल: info@icsi.edu

अरुण जेटली
वित्त, कार्पोरेट कार्य
एवं रक्षा मंत्री
भारत




Arun Jaitley
Minister of Finance, Corporate Affairs
and Defence
India

संदेश

1 जुलाई, 2017 से भारत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीएसटी प्रणाली का उद्देश्य पूरे देश में एक एकीकृत कर ढांचा लाना और सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य बाजार बनाना है। जीएसटी के साथ, भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्तियों में स्थान बनाते हुए एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। जीएसटी निर्यात को भी बढ़ावा देगा और बदले में घरेलू उद्योग को लाभान्वित करने वाली सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल को सहयोग करेगा। जीएसटी आपूर्ति श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देने के साथ ही "व्यापार करने की आसानी" लाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण समय में, मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए "वस्तु एवं सेवा करों पर शिक्षार्थी मार्गदर्शिका" प्रकाशित करने की एक पहल की है। यह जनता और सभी हितधारकों को जीएसटी की रूपरेखा के बारे में जागरूक बनाने की दिशा में एक रचनात्मक कदम है।

मुझे विश्वास है कि यह जानकारी पूर्ण प्रकाशन आम जनता के बीच जीएसटी से संबंधित मामलों की बेहतर समझ प्रदान करने में सहायक होगा।


(अरुण जेटली)

5 जुलाई, 2017

अर्जुन राम मेघवाल, आई.ए.एस. (रिटायर्ड)
Arjun Ram Meghwal, IAS (Retd.)

My Mobile
My Bank
My Wallet



वित्त एवं कारपोरेट कार्य
राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF STATE FOR FINANCE
&
CORPORATE AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001



संदेश

भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के कार्यान्वयन के मद्देनजर, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान अपने हितधारकों के साथ ही आम जनता में ज्ञान का प्रसार करने के लिए "वस्तु एवं सेवा कर पर शिक्षार्थी मार्गदर्शिका" प्रकाशित कर रहा है।

वस्तु एवं सेवा कर देश भर में एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लाने के उद्देश्य से एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है। जीएसटी जो एक कर एक राष्ट्र के सिद्धांत का अनुसरण करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सुधारवादी स्थिति लाएगा। आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार के तौर पर, जीएसटी अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में देश का उत्थान करेगा और राष्ट्र को वैश्विक मंच पर प्रमुख स्थान दिलाएगा।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका वस्तु एवं सेवा कर कानून की बारीकियों को समझने में जनता को व्यापक स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

(अर्जुन राम मेघवाल)

दिनांक: 20.06.2017
स्थान: नई दिल्ली



Off. : 165, North Block, New Delhi-110001 Phone (O) : 011-23093132, 23093403, Fax : 011-23094936
Delhi Resi. : 20, Windsor Place, New Delhi-110001, Phone : 011-23714778, Telefax : 011-23714779
Resi : Sansad Seva Kendra, C-66, Khaturia Colony, Bikaner, Rajasthan Ph. : 0151-2230260

अनुक्रमणिका

Index

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	6
2.	जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य	10
3.	भारत में जीएसटी	12
4.	जीएसटी का इतिहास	14
5.	जीएसटी परिषद्	18
6.	जीएसटी प्रणाली के तहत कर	19
7.	जीएसटी के तहत देयता	20
8.	पंजीकरण	21
9.	जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य घटनाक्रम	24
10.	आपूर्ति का समय	26
11.	आपूर्ति की प्रकृति	29
12.	आपूर्ति का स्थान	31
13.	आपूर्ति का मूल्य	36
14.	इनपुट टैक्स क्रेडिट	38
15.	टैक्स इनवॉयस, क्रेडिट और डेबिट नोट्स	40
16.	रिटर्न	45
17.	भुगतान	48
18.	लेखा और रिकार्ड	50
19.	जॉब कार्य	51
20.	निर्धारण	53
21.	ऑडिट	54
22.	जीएसटी के लाभ	56
23.	कंपनी सचिव की भूमिका	62



अध्यक्ष का संदेश

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जो सरकार द्वारा किए गए सबसे महत्वाकांक्षी कर सुधारों में से एक है, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया है। जीएसटी से भारत 'एक कर, एक बाजार और एक राष्ट्र' के युग में पदार्पण करेगा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देश में औपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा।

जीएसटी निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी बनने जा रहा है क्योंकि यह न्यूनतम छूटों और अधिकतम अनुपालन सहित एक सामान्य बाजार के निर्माण में सुविधा प्रदान करेगा। जीएसटी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कर आधार को व्यापक बनाने से राजस्व हानि को रोकने में मदद मिलेगी और कर ढांचे के युक्तिकरण का उद्देश्य प्राप्त होगा। यह देश भर में कर ढांचे और दरों की एकरूपता प्रदान करेगा और करों के सोपानों से बचने और अनुपालन की लागत को कम करने में मदद करेगा।

भारत का सबसे प्रगतिशील कर सुधार हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है और भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे और भारतीय अर्थव्यवस्था में इस सबसे बड़े सुधार के सफल कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई पहलें की हैं। लोगों को व्यापक स्तर पर जीएसटी की बुनियादी समझ देने के लिए, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने, इस "वस्तु एवं सेवा कर पर अभ्यासी मार्गदर्शिका" का प्रकाशन किया है।

मुझे विश्वास है कि लोगों को जीएसटी की जटिलताओं को व्यापक स्तर पर समझने में सुविधा प्रदान करने के लिए यह अभ्यासी मार्गदर्शिका महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

सीएस (डॉ.) श्याम अग्रवाल
अध्यक्ष
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

1. प्रस्तावना

कराधान किसी भी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। कराधान से प्राप्त राजस्व का प्रयोग सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, परिवहन और अन्य सभी सुविधाएं जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्रियों के विचार से, कर दंड रहित, किंतु पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर और प्राप्त किए गए विशेष लाभों के संदर्भ के बिना अनिवार्य रूप से निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र को संसाधनों का अनिवार्य अंतरण है। कर योगदान का प्रत्येक रुपया बेहतर बुनियादी ढांचा, ग्रामीण पुनरुद्धार और सामाजिक कल्याण की दिशा में सरकार की मदद करता है। कराधान को समाज से गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध एक प्रमुख उपकरण भी माना जाता है। दूसरी ओर, कर सुधार ढांचागत समायोजन और विकास के लिए किसी भी व्यापक कार्यनीति का एक अनिवार्य घटक है। (छिब्रर और खलिजदेह शिराजी 1988)

भारत में कर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और कुछ स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगरपालिका, जो छोटे कर वसूल करती हैं, द्वारा लगाए जाते हैं। भारत में लगाए गए कर दो प्रकार के हैं और वे हैं; प्रत्यक्ष कर, जो सीधे आयकर के रूप में किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है और अप्रत्यक्ष कर, जो वस्तुओं की खरीद या सेवाओं के उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है। यद्यपि कर के भुगतान की तत्काल देयता एक अन्य व्यक्ति जैसे विनिर्माता, सेवा प्रदाता या माल के विक्रेता पर होती है। भारत में अप्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर आदि जैसे विभिन्न रूप हैं।

भारत का संविधान भारत में सभी कानून बनाने के अधिकारों का आधार एवं स्रोत है। कर लगाने का अधिकार भारत के संविधान से लिया गया है जो केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न कर लगाने का अधिकार आवंटित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246, भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों का वितरण करता है। केंद्र को वस्तु के निर्माण (मानव उपभोग के लिए नशीली शराब, अफीम, नशीले पदार्थ इत्यादि को छोड़कर) पर कर लगाने का अधिकार है, जबकि राज्यों को सामान की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार है। अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में, केंद्र को कर (केंद्रीय बिक्री कर) लगाने का अधिकार है, लेकिन, कर पूरी तरह राज्यों द्वारा संग्रह किया और रखा जाता है। सेवाओं के मामले में केवल केंद्र को ही सेवा कर वसूलने का अधिकार है।

मोटे तौर पर, विगत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को केन्द्र और राज्य के कानूनों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। केंद्र सरकार के लिए अप्रत्यक्ष करों के तीन मुख्य घटक केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर हैं। जबकि राज्य सरकार के लिए, मूल्यवर्धित कर (वैट) और सीएसटी, चुंगी, मनोरंजन कर इत्यादि प्रमुख कर हैं।

मूल्यवर्धित कर की शुरुआत को भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम और महत्वपूर्ण सफलता माना गया है। वैट की सफलता के बावजूद, वैट के मौजूदा ढांचे में अभी भी कुछ कमी है। यह मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों, जैसे विलासिता कर, मनोरंजन कर इत्यादि के संग्रह के रूप में है जिसे वैट में शामिल नहीं किए जाने से व्यापक टैक्स क्रेडिट तंत्र के लाभ हाशिए पर जा रहे हैं।

करों के व्यापक प्रभाव को पूरी तरह से हटाने में केन्द्रीय वैट और राज्य वैट के मौजूदा रूप अभी भी अक्षम हैं। इसके अलावा, कई अन्य कर भी हैं, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उत्पादन, निर्माण और वितरण व्यापार पर लगाते हैं, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में कोई सेट-ऑफ उपलब्ध नहीं है। यह कर "कर पर कर" के माध्यम से माल और सेवाओं की लागत बढ़ाते हैं जिसे अंतिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है।

वर्तमान अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत कुछ चुनौतियों का श्रेय केंद्रीय उत्पाद शुल्क को दिया जा सकता है, जिसमें वर्तमान में उत्पाद शुल्क के तहत परिवर्तनीय दरें जैसे 2% सेनवैट के बिना 6%, 10%, 18%, 24%, 27%, आधारित मूल्यांकन प्रणाली और विभिन्न छूटों से युक्त हैं। इसके अलावा, वैट के तहत, विभिन्न राज्य विभिन्न दरों पर वैट लगा रहे हैं जिसका परिणाम राज्यों के बीच व्यापार असंतुलन है। साथ ही वैट के तहत पंजीकरण, भुगतान की तारीख, रिटर्न जमा करने की निर्धारण प्रक्रियाएं, वापसी प्रणाली, अपीलीय प्रक्रिया आदि के संबंध में एकरूपता की कमी है, जो अनुपालन तंत्र को जटिल बनाते हैं। उदाहरण के लिए: विभिन्न राज्यों में कार्यालयों वाले किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को संबंधित राज्यों के कानूनों का पालन करना आवश्यक है।

जीएसटी पूर्व कर ढांचे की चुनौतियां

1. वस्तुओं पर कराधान के संबंध में, सेनवेट विनिर्माण चरण तक सीमित था और फैंक्ट्री फाटक के बाहर वितरण शृंखला तक विस्तारित नहीं थी। इस प्रकार, वस्तुओं पर भुगतान किए जाने वाले सेनवेट को वस्तुओं की बाद की बिक्री पर देय राज्य वैट से समायोजित नहीं किया जा सकता। यह घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर एकत्रित सेनवेट के साथ ही आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में संग्रहित दोनों ही के लिए सच है।
2. सेनवेट स्वयं ही उपकरणों और प्रभागों जैसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी), शिक्षा और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकरण, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों आदि पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में कई घटकों से निर्मित था। शुल्कों की बहुलता कर ढांचे को जटिल बनाती थी और अक्सर टैक्स क्रेडिट के सुगम प्रवाह को बाधित करती थी।
3. जबकि सेनवेट या वस्तुओं पर भुगतान किए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क का इनपुट टैक्स क्रेडिट सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध थी, वे वस्तुओं की अपनी खरीद पर राज्य के वैट या राज्य के अन्य करों को बेअसर करने में असमर्थ थी।
4. राज्य का वैट विनिर्माण चरण पर भुगतान किए गए सेनवेट सहित माल के मूल्य पर देय था और इस प्रकार इस घटक द्वारा विक्रेता की वैट देयता प्रतिपूरक सेट-ऑफ के बिना बढ़ जाती थी।
5. वस्तु की अंतर-राज्यीय बिक्री पर केन्द्र द्वारा लगाए और राज्यों द्वारा संग्रहीत केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) लगता था। यह एक उत्पत्ति आधारित कर था और इसे अनेक स्थितियों में वैट से सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता था।
6. राज्य वैट और सीएसटी उन वस्तुओं के आयात पर सीधे लागू नहीं होते थे, जिन पर केंद्र द्वारा 4% की समान दर से विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) लगाया जाता था। इन शुल्कों का इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उन्हीं विनिर्माण उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए उपलब्ध था। अन्य आयातकों को बाद की बिक्री पर वैट का भुगतान करते समय इस शुल्क की वापसी का दावा करना होता था।

7. वैट डीलर कर योग्य इनपुट सेवाओं की अपनी खरीद पर किए गए किसी सेवा कर के भुगतान के लिए सेट-ऑफ करने में अक्षम था।
8. राज्य सरकारें विलासिता कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर आदि जैसे अन्य अप्रत्यक्ष कर भी लगाती और संग्रह करती थी जिनके लिए कोई सेट-ऑफ उपलब्ध नहीं था।

यदि राज्य स्तर पर वैट पूर्व-मौजूदा बिक्री कर की अपेक्षा एक प्रमुख सुधार था तो, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वास्तव में देश में व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में राष्ट्रीय के साथ ही राज्य स्तर पर एक और महत्वपूर्ण सुधार है।

जीएसटी भारत में सबसे बड़े कराधान सुधारों में से एक है, जिसका उद्देश्य राज्य अर्थशास्त्र को एकीकृत करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक एकल, सार्वभौम भारतीय बाजार का निर्माण करके समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

2. जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश कर ढांचों के सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछली अर्ध-शताब्दी में कई देशों में वस्तु एवं सेवा कर अपनाना सबसे महत्वपूर्ण विकास रहा है। आज, यह दुनिया भर में 140 से अधिक देशों में प्रचलित व्यापक रूप से स्वीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में से एक है। विश्व स्तर पर, देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और उपभोग पर विशेष रूप से एक दर पर लगाए गए गंतव्य आधारित व्यापक कर के रूप में जीएसटी की संरचना की गई है। यह उपभोक्ताओं को जीएसटी की समान दरों पर भुगतान करते हुए राष्ट्रीय कर मानकों के सृजन की सुविधा देता है, जिससे पूरी आपूर्ति शृंखला में निर्बाध क्रेडिट प्रवाह संभव होता है।

जीएसटी पहली बार 1954 में फ्रांस द्वारा लगाया गया था। आज, भारत इस समूह में शामिल होने वाला हालिया देश है।

जिन देशों में जीएसटी अपनाया गया है, वहां निर्माता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और सेवा प्रदाता, उपभोक्ता से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर विनिर्दिष्ट दर पर जीएसटी प्रभार लेकर वस्तुओं और सेवाओं (कच्चे माल) की खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट क्रेडिट का दावा करते हैं।

विश्व स्तर पर, जीएसटी के व्यापक सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

- जीएसटी व्यापक आधार वाला कर है।
- जीएसटी गंतव्य आधारित कर है।
- जीएसटी तकनीकी तौर पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चुकाया जाता है, लेकिन वास्तव में उपभोक्ताओं द्वारा वित्तपोषित है।
- जीएसटी एक चरणबद्ध प्रक्रिया यानी आपूर्ति शृंखला में हर बिंदु पर वस्तु या सेवाओं में जोड़े गए मूल्य पर कर के माध्यम से एकत्र किया जाता है।
- जीएसटी व्यापार स्रोतों से उत्पादों की खपत पर टैक्स है।
- जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरे मूल्य शृंखला में क्रेडिट योग्य अधिग्रहण के लिए प्रदान किया जाता है।

जीएसटी एक परिदृश्य

हालांकि अधिकांश देशों ने जीएसटी के समान सिद्धांतों को अपनाया है, इसे कार्यान्वित किए जाने के तरीके में महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये अंतर न केवल विशिष्ट नीति उद्देश्यों को पूरा करने के लिए छूट और विशेष व्यवस्था के निरंतर अस्तित्व, बल्कि उपभोग के अधिकार क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण के मतभेदों से और कराधान के कारण भी हैं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी और समान धारणाओं की विभिन्न व्याख्याओं सहित अन्य उपभोग करों के प्रयोग; आपूर्ति के समय और आपूर्ति के स्थान से इसकी परस्पर क्रिया के प्रति दृष्टिकोण; सेवाओं और अमूर्त वस्तुओं की विभिन्न परिभाषाओं और मिश्रित आपूर्तियों के असंगत उपचार सहित कई भिन्नताएं हैं।

विभिन्न देश अपने स्वयं के विधायी और प्रशासनिक ढांचे और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर जीएसटी के विभिन्न मॉडल का पालन करते हैं। इनमें से कुछ मॉडल हैं :

- ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, जिसमें केंद्र द्वारा कर संग्रह किया और राज्यों को वितरित किया जाता है।
- कनाडा के मॉडल में करों के तीन रूप होते हैं।
- केलकर-शाह मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है जिसमें केंद्र द्वारा करों का संग्रह किया जाता है, हालांकि केंद्र और राज्यों द्वारा दो विभिन्न दरों पर कर लगाए जाते हैं, और
- बागची-पोद्दार मॉडल जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट के संयोजन, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा अलग-अलग लगाए जाने वाले जीएसटी का सामान्य आधार बनाने के लिए है।

अधिकांश देश एक एकीकृत जीएसटी प्रणाली का पालन करते हैं। हालांकि, भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति पर विचार करते हुए, जीएसटी का दोहरा मॉडल प्रस्तावित किया गया है, जहां कर लगाने का अधिकार केंद्र और राज्यों के बीच आंशिक रूप से वितरित किया जाएगा, इस प्रकार केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा जीएसटी लगाया जाएगा और करों के इन तीन प्रकारों में टैक्स क्रेडिट को सक्षम बनाने वाले केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के रूप में अलग-अलग कर होंगे। वर्तमान में, ब्राजील और कनाडा भी दोहरे जीएसटी मॉडल का पालन करते हैं।

3. भारत में जीएसटी

जीएसटी भारत में सबसे बड़े कराधान सुधारों में से एक है जिसका उद्देश्य राज्य अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक एकल, एकीकृत भारतीय बाजार का निर्माण करके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। जीएसटी को राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु के साथ ही सेवाओं के लिए एक व्यापक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुल अप्रत्यक्ष कर वसूली को एक एकल कर में समेकित करके मौजूदा अप्रत्यक्ष कर ढांचे की सीमाओं पर काबू पाने और कर प्रशासन में दक्षता पैदा करते हुए करों की एक श्रेणी सम्मिलित करना है।

जीएसटी “गंतव्य सिद्धांत” के आधार पर खपत या गंतव्य आधारित कर है। यह वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल करने वाली एक व्यापक कर व्यवस्था है और आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्य-वृद्धि पर एकत्र की जानी है। साथ ही, वस्तु और सेवाओं की अधिप्राप्ति पर अदा किया गया जीएसटी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर देय से सेट-ऑफ किया जा सकता है। सीधे शब्दों में, जीएसटी आपूर्ति के प्रत्येक बिंदु पर लगाए गए वस्तु और सेवाओं पर लगाया गया कर है। ऐसा जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर या वस्तुओं या सेवाओं के कुछ छूट वाले वर्ग या वस्तुओं और सेवाओं की नकारात्मक सूची जिन पर जीएसटी पर लगाया नहीं जाएगा, को छोड़कर लगाया जाएगा।

जीएसटी का सार मूल्य शृंखला में, मूल निर्माता और सेवा प्रदाता के बिंदु से खुदरा विक्रेता के स्तर तक, करों के सेट-ऑफ की अनुमति देते हुए केन्द्रीय और राज्य दोनों करों के व्यापक प्रभाव को दूर करना है। इस प्रकार जीएसटी केवल वैट के साथ सेवा कर ही नहीं, बल्कि वैट की मौजूदा प्रणाली और उद्योग, व्यापार और आम उपभोक्ताओं के साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए सामूहिक लाभ की संभावना में निहित असंबद्ध सेवा कर में एक प्रमुख सुधार है।

जीएसटी, सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक सुनियोजित मूल्य वर्धित कर के रूप में, विकृतियों और कर खपत को खत्म करने का सबसे शानदार तरीका है। जीएसटी के तहत समाहित किए जाने वाले कर निम्नानुसार हैं :



केंद्रीय कर राज्य कर	राज्य वैट
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	केंद्रीय बिक्री कर
उत्पाद शुल्क (औषधीय और शौचालय वस्तुएं)	खरीद कर
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व की वस्तुएं)	विलासिता कर
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़े और वस्त्र उत्पाद)	प्रवेश कर (सभी रूपों में)
अतिरिक्त सीमा शुल्क (आम तौर पर सीवीडी के तौर पर ज्ञात)	मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए को छोड़कर)
विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)	विज्ञापनों पर कर
सेवा कर	लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर
उपकर और अधिभार जहां तक वे वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं	राज्य उपकर और अधिभार जहां तक वे वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं

4. जीएसटी का इतिहास

वस्तु एवं सेवा कर की उत्पत्ति 17 जुलाई, 2000 को मानी जा सकती है, जब भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और मेघालय राज्यों के माननीय वित्त मंत्रियों को सदस्यों के तौर पर शामिल करते हुए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति स्थापित की थी, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बिक्री कर की समान न्यूनतम दरों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- बिक्री-कर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को हटाने की निगरानी करना;
- वैट को अपनाने के लिए राज्यों की उपलब्धियों और विधियों का निर्णय करना; और
- देश में मौजूदा केंद्रीय बिक्री कर प्रणाली में सुधार की निगरानी करना ।

इसके बाद, असम, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और राजस्थान के माननीय राज्य वित्त मंत्रियों को भी अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया । 12 अगस्त, 2004 को भारत सरकार ने राज्यों के सभी माननीय वित्त/कराधान मंत्रियों की सदस्यता वाली अधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया । बाद में, इस निकाय को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक संस्था के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया । जीएसटी ने पारित होने और कार्यान्वयन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की है ।

भारत में जीएसटी की यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त अतीतावलोकन यहां प्रस्तुत है :

2003 : अप्रत्यक्ष कर पर केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का सुझाव दिया था ।

फरवरी, 2007 : तत्कालीन माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय बजट (2007-08) में 1 अप्रैल, 2010 से जीएसटी को लागू करने की घोषणा की गई ।

सितंबर, 2009 : अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के व्यापारिक करों के प्रमुख सचिवों/सचिवों (वित्त/कराधान) और आयुक्तों से मिलकर निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें देने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन करने का निर्णय लिया:

- वस्तुओं और सेवाओं जिन्हें छूट दी गई सूची में रखा जाना चाहिए;

- अंतरराज्यीय सेवाओं में लेनदेन सहित सेवाओं के लेन-देन पर कर लगाने के नियम और सिद्धांत; और
- भारतीय स्टेट बैंक और कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से परामर्श करके स्टॉक अंतरण सहित वस्तुओं के अंतरराज्यीय लेनदेन/ चालान के लिए सुझाए गए मॉडल को अंतिम रूप देना।

नवंबर, 2009 : केंद्र और राज्य सरकारों से इनपुट्स के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी पर अपना पहला चर्चा पत्र जारी किया।

मार्च, 2011 : संविधान (एक सौ पचासवें संशोधन) विधेयक, 2011 संघ और राज्यों को समवर्ती कराधान अधिकार देने के लिए लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में वस्तु एवं सेवा कर परिषद् के सृजन और वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटारा प्राधिकरण का सुझाव दिया गया। विधेयक 2014 में समाप्त हो गया था और इसे संविधान (122वें संशोधन) विधेयक, 2014 से बदल दिया गया।

नवंबर 2012 : भारत सरकार, राज्य सरकारों और अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के अधिकारियों को शामिल करते हुए “जीएसटी डिजाइन पर समिति” का गठन किया गया।

जनवरी, 2013 : अधिकार प्राप्त समिति ने संविधान (115वें) संशोधन विधेयक सहित प्रस्तावित प्रारूप पर विचार-विमर्श किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस रिपोर्ट के आधार पर, अधिकार प्राप्त समिति ने संविधान संशोधन विधेयक में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की और जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और रिपोर्ट करने के लिए अधिकारियों की निम्न तीन समितियों का गठन करने का निर्णय लिया :

- आपूर्ति स्थान के नियमों और राजस्व तटस्थ दरों पर समिति
- दोहरी नियंत्रण, सीमा और छूटों पर समिति
- आयातों पर आईजीएसटी और जीएसटी पर समिति

मार्च, 2013 : मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकार(रों), करदाताओं और अन्य हितधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन के तौर पर वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के नाम पर एक लाभ रहित गैर-सरकारी, निजी लिमिटेड कम्पनी का गठन किया गया।

अगस्त, 2013 : संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपी। मंत्रालय ने विधायी विभाग के परामर्श से अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की सिफारिशों और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच की। अधिकार प्राप्त समिति और संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं और मसौदा संशोधन विधेयक उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया।

सितंबर, 2013 : उक्त उल्लिखित परिवर्तनों को शामिल करते हुए अंतिम मसौदा संविधान संशोधन विधेयक, विचार के लिए अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया था।

नवंबर, 2013 : अधिकार प्राप्त समिति ने शिलांग में अपनी बैठक के बाद विधेयक पर फिर से कुछ सिफारिशें कीं। जिनमें से कुछ सिफारिशें मसौदा संविधान (115 संशोधन) विधेयक में शामिल की गईं और संशोधित मसौदा फिर से विचार के लिए अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया था।

जून, 2014 : नई सरकार के अनुमोदन के बाद मार्च 2014 में मसौदा संविधान संशोधन विधेयक अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया।

दिसंबर, 2014 : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने और राज्य मूल्य वर्धित कर, चुंगी और प्रवेश कर, विलासिता कर इत्यादि को समाहित करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए इच्छित संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014 माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 19 दिसंबर, 2014 को लोकसभा में पेश किया था।

मई, 2015 : संविधान संशोधन (122) विधेयक लोकसभा द्वारा 06 मई, 2015 को पारित किया गया।

मई, 2015 : राज्यसभा में, विधेयक को राज्यसभा की 21 सदस्यीय चयन समिति को भेजा गया।

जुलाई 2015 : चयन समिति ने 22 जुलाई, 2015 को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

जून, 2016 : 14 जून, 2016 को वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र में जीएसटी पर विचारों और सुझावों के लिए मसौदा मॉडल कानून जारी किया।

अगस्त, 2016 : 3 अगस्त 2016 को, संविधान (122 संशोधन) विधेयक, 2014 राज्यसभा द्वारा कुछ खास संशोधनों के साथ पारित किया गया।

अगस्त 2016 : राज्यसभा द्वारा किए गए परिवर्तनों को लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से 8 अगस्त, 2016 को पारित किया गया।

सितंबर 2016 : विधेयक अधिकांश राज्य विधानसभाओं द्वारा अपनाया गया जिसमें राज्य विधानसभाओं में कम से कम 50% अनुमोदन आवश्यक था ।

सितंबर, 2016 : 8 सितंबर, 2016 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की अंतिम सहमति दी गई ।

अप्रैल, 2017 : संसद ने निम्नलिखित चार विधेयक पारित किए

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक
- संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक
- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) विधेयक

अप्रैल, 2017 : वस्तु एवं सेवा कर पर उपरोक्त चार प्रमुख कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई ।

(राज्य अपनी संबंधित विधायिकाओं में अलग और समर्पित कानून अर्थात एसजीएसटी विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में हैं)


5. जीएसटी परिषद्

जीएसटी परिषद् मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है जो जीएसटी के आकार को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई है। जीएसटी के इस शासी निकाय में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, परिषद् के अध्यक्ष, राज्य मंत्री (राजस्व) और राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री शामिल हैं। परिषद् का दायित्व केन्द्र और राज्यों को सिफारिश करना है। संविधान (एक सौ एकवें संशोधन) अधिनियम, 2016 में प्रावधान किया गया है कि जीएसटी परिषद् को, विभिन्न कार्यों के निर्वहन में, जीएसटी के अनुरूप संरचना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए सुसंगत राष्ट्रीय बाजार के विकास की जरूरत के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। जीएसटी परिषद् में कोई निर्णय, एक-तिहाई वोट केंद्र के और बाकी दो-तिहाई वोट राज्यों के होने से, तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है। जीएसटी परिषद् के कामकाज में निम्न पर सिफारिशें करना शामिल हैं :

- केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार जो जीएसटी में समाहित जमा किए जा सकते हैं;
- वस्तुएं और सेवाएं जिन्हें जीएसटी में लाया जा सकता है या जीएसटी से छूट दी जा सकती है;
- मॉडल जीएसटी कानून, लेवी के सिद्धांत, आईजीएसटी के अनुपातीकरण और आपूर्ति के स्थान को शासित करने वाले सिद्धांत;
- टर्नओवर की दहलीज सीमा जिससे निम्नतर वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा सकती है;
- जीएसटी के बैंड के साथ न्यूनतम दरों सहित दरें;
- प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरें;
- अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान; और
- अन्य कोई मामले।

6. जीएसटी प्रणाली के तहत कर


मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर सभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाएगा। पांच पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद् वह तारीख तय करेगी, जब उन्हें जीएसटी में शामिल किया जाएगा। बिजली को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी के तहत प्रदत्त संरचना दोहरी प्रकृति की है और इसके तहत, केंद्र और राज्य एक साथ समान आधार पर कर लगायेंगे। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु और/या सेवाओं की राज्य के अंदर आपूर्ति पर लगाए जाने वाले जीएसटी को केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाएगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लगाए गए जीएसटी को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/यूटीजीएसटी कहा जाएगा। इसी प्रकार, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) केंद्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्येक अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा।



7. जीएसटी के तहत देयता

जीएसटी प्रणाली के तहत, टैक्स के भुगतान की देनदारी तब बनती है जब कर योग्य व्यक्ति 20 लाख रुपए की टर्नओवर सीमा (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपए), कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर जहां कर योग्य व्यक्ति जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है भले ही उसने यह सीमा पार नहीं की है, को पार करता है। सीजीएसटी/एसजीएसटी वस्तु और/या सेवाओं की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर देय है और आईजीएसटी वस्तु और/या सेवाओं की राज्य के अंदर सभी आपूर्ति पर देय है।

कम्पोजिशन स्कीम, जो प्रमुख रूप से छोटे करदाताओं के लिए तैयार की गई है, में कर की रियायती दर और मासिक रिटर्न के बजाय तिमाही रिटर्न जमा करने की व्यवस्था है। कम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण हेतु पात्र बनने के लिए, यह आवश्यक है कि पंजीकृत करदाता का कुल कारोबार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1,00,00,000 /- रुपए से अधिक न हो।



8. पंजीकरण

किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं की पहचान के लिए पंजीकरण सबसे मूलभूत आवश्यकता है जिससे अर्थव्यवस्था में कर अनुपालन सुनिश्चित होता है। जीएसटी कानून के तहत किसी व्यावसायिक इकाई का पंजीकरण करने का मतलब है सरकार की ओर से कर संग्रह करने और अपनी आवक आपूर्तियों पर कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के प्रयोजन से संबंधित कर अधिकारियों से एक विशिष्ट संख्या प्राप्त करना है। पंजीकरण के बिना, कोई व्यक्ति अपने ग्राहकों से कर एकत्र नहीं कर सकता है और न ही भुगतान किए गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

पंजीकरण कराने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति : सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 में पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की सूची निर्दिष्ट की गई है और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 24 में उन व्यक्तियों की श्रेणी सूचीबद्ध है जिन्हें पंजीकरण कराना विशिष्ट रूप से आवश्यक है, भले ही वे अधिनियम की धारा 22 के तहत न आते हों। संक्षिप्त सूची निम्नलिखित है :

- **आपूर्तिकर्ता :** कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं या दोनों में 10 लाख रुपए (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए) और अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 लाख रुपए की निर्दिष्ट सीमा से अधिक टर्नओवर वाला आपूर्तिकर्ता।
- **लाइसेंसधारक :** प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकृत लाइसेंसधारक है या मौजूदा कानून के तहत किसी खास दिन से ठीक पहले लाइसेंस धारित करता है।
- **अंतरित :** किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय जारी प्रतिष्ठान में अंतरित किए जाने पर ऐसे हस्तांतरण या उत्तराधिकार की तारीख से प्रभावी रूप से पंजीकृत होना जरूरी होगा।
- **योजना के तहत अंतरित :** किसी योजना की स्वीकृति या एकीकरण की व्यवस्था के अनुसार अंतरण या, जैसा भी मामला हो, या अधिक कंपनियों को उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में दो या अधिक कंपनियों के विलय पर, अंतरित उस तारीख से पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा, जिस तारीख से कंपनियों के रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश को लागू करने के लिए निगमन प्रमाण पत्र जारी करते हैं।
- **अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता :** जीएसटी के तहत एक अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता को सप्लायर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना जरूरी है।
- **आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति :** एक व्यक्ति जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जहां उसके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है, मुखिया या एजेंट या किसी अन्य तौर पर, व्यवसाय में या उसे आगे बढ़ाते हुए वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कभी-कभी

लेन—देन करता है, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कहलाता है।

ऐसे व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने पर कर योग्य व्यक्तियों के दायरे में आते हैं।

- **रिवर्स चार्ज के भुगतानकर्ता** : जो व्यक्ति रिवर्स चार्ज के तहत कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं वे जीएसटी के तहत पंजीकृत होंगे
- **सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत व्यक्ति** : जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (5) में कहा गया है, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन सेवाओं की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिनकी राज्य के अंदर आपूर्ति पर कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा यदि उसके द्वारा ऐसी सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लागू होंगे जैसे वह ऐसी सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी आपूर्तिकर्ता है।
- **अनिवासी** : कर योग्य आपूर्ति कर रहे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति।
- **स्रोत पर कर का कटौतीदाता** : जो व्यक्ति धारा 51 के तहत कर की कटौती के लिए अपेक्षित है, चाहे इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हैं या नहीं।
- **किसी अन्य व्यक्ति की ओर से आपूर्तिकर्ता** : अन्य कर योग्य व्यक्तियों की ओर से एक एजेंट के तौर पर या अन्यथा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति।
- **इनपुट सेवा वितरक** : इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हों या नहीं।
- **इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्तिकर्ता** : ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से, जिसे धारा 52 के तहत स्रोत पर कर संग्रह करना आवश्यक है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों (धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत निर्दिष्ट आपूर्तियों के अतिरिक्त) की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति।
- **इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर** : प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर।
- **ऑनलाइन सूचना का आपूर्तिकर्ता** : पंजीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त, भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति।
- **कोई अन्य व्यक्ति** : कोई अन्य व्यक्ति या परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी।

व्यक्ति जो पंजीकरण हेतु उत्तरदायी नहीं

निम्नलिखित व्यक्तियों को विशेष रूप से जीएसटी के तहत पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है :

- छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या जिन वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी के तहत कर देय नहीं है, की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति।
- कृषि उत्पादक, भूमि की खेती से उत्पादन की आपूर्ति की सीमा तक।

सरकार परिषद की सिफारिशों पर व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।

जीएसटीआईएन : जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन नाम से – पैन आधारित संख्या – 15 अंकों की होगी जो निम्न प्रकार से है –

राज्य कोड		पैन										कम्पनी कोड	रिक्त	अंक चेक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- इस संख्या के पहले दो अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- अगले दस अंक करदाता का पैन नंबर होगा।
- तेरहवां अंक राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर दिया जाएगा।
- चौदहवां अंक स्वभावतः जेड होगा।
- अंतिम अंक चेक कोड के लिए होगा।

जीएसटी के तहत पंजीकरण कर विशिष्ट नहीं है, जिसका अर्थ है कि सभी करों अर्थात् सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर के लिए एकल पंजीकरण है। दी गई पैन आधारित कानूनी इकाई का एक राज्य में एक जीएसटीआईएन होगा, जिसका अर्थ है कि कई राज्यों में अपनी शाखाओं वाली व्यावसायिक इकाई को विभिन्न राज्यों में शाखाओं के लिए विभिन्न राज्यवार पंजीकरण कराना होगा। लेकिन एक राज्य के भीतर, विभिन्न शाखाओं वाली इकाई का एकल पंजीकरण होगा जिसमें एक स्थान को व्यवसाय का प्रमुख स्थान और अन्य शाखाओं को व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान घोषित किया जा सकता है। हालांकि, किसी राज्य में अलग-अलग व्यवसाय कार्यक्षेत्र वाली व्यवसाय इकाई (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (18) में यथा परिभाषित) अपने प्रत्येक व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त कर सकती है।

पंजीकरण देयता बनने के तीस दिनों के अंदर सामान्य पोर्टल (जीएसटीएन) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होता है। आकस्मिक और अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों को व्यवसाय आरंभ करने से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। किसी व्यवसाय के जारी प्रतिष्ठान के रूप में अंतरण के लिए, पंजीकरण की देयता अंतरण की तिथि को बनती है।

9. जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य घटनाक्रम

मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न करों के लिए कर योग्य घटनाक्रम अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, उत्पाद शुल्क के लिए कर योग्य घटनाक्रम भारत में वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन है। इसी प्रकार, सेवाओं के लिए कर योग्य घटनाक्रम वह था जब कोई सेवा प्रदान की गई या प्रदान की जाने पर सहमति व्यक्त की गई। सीएसटी और वैट के तहत यह वस्तुओं की बिक्री है। इस प्रकार, इन सबकी वजह से विभिन्न करों के तहत कर योग्य घटनाक्रम के निर्धारण में बहुत भ्रम हो गया। ऐसे कई कर योग्य घटनाक्रमों के स्थान पर, जीएसटी ने एक एकल और समान कर योग्य घटनाक्रम पेश किया है, जिसमें आपूर्ति और कर, उपभोग के स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी के पास उद्भूत होंगे जो अधिकतर मामलों में आपूर्ति का स्थान होगा।

आपूर्ति को इस अधिनियम में अधीनस्थ और समावेशी तौर पर परिभाषित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति के चिन्हित प्रकार निम्न हैं :



कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है और ये हैं:

1. अनुसूची III की गतिविधियां जिसमें शामिल हैं।
 - किसी कर्मचारी से नियोक्ता के लिए सेवाएं।
 - किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा सेवाएं।
 - (क) संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, नगरपालिकाओं के सदस्य और अन्य स्थानीय प्रशासन के सदस्य द्वारा किए गए कार्य।
 - (ख) संविधान के प्रावधान का पालन करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा निभाए गए पद के दायित्व या
 - (ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थापित निकाय में अध्यक्ष या सदस्य या निदेशक और जिसे इस धारा के आरंभ होने से पूर्व कर्मचारी नहीं माना गया है, के तौर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य।
 - अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर की सेवाएं।
 - अनुसूची II (5) (ख) के अंतर्गत भूमि की बिक्री, भवन की बिक्री।
 - लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के अलावा कार्रवाई योग्य दावे।
2. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्रशासन की गतिविधियां या लेन-देन जिनमें वे सरकारी प्राधिकरण के रूप में नियोजित हैं, जैसा परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

10. आपूर्ति का समय

कराधान बिंदु से मतलब उस समय से है जब वस्तु की आपूर्ति हो गई मान ली जाती है या सेवा को प्रदान किया जा चुका मान लिया जाता है। कराधान बिंदु हमें कर की दर, मूल्य और कर चुकाने की तारीखों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर सीजीएसटी/एसजीएसटी चुकाने का उत्तरदायित्व वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति के समय होगा। सीजीएसटी अधिनियम 2017 धारा 12 के अंतर्गत वस्तु की आपूर्ति का समय निर्धारित करता है और धारा 13 के अंतर्गत सेवा की आपूर्ति का समय निर्धारित करता है।

वस्तुओं की आपूर्ति का समय	
प्रकार	वस्तु (धारा 12)
सामान्य प्रावधान (उप धारा 2)	(तीन को जल्द से जल्द) <ul style="list-style-type: none"> • इनवॉयस जारी करने की तारीख • इनवॉयस जारी करने की आवश्यकता की अंतिम तारीख (धारा 31(1)) • भुगतान की रसीद
अतिरिक्त राशि टैक्स इनवॉयस में सूचित 1000 से अधिक अतिरिक्त प्राप्त राशि होती है।	(आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर) इनवॉयस निर्गत करने की तारीख (इस तरह की अतिरिक्त राशि के संबंध में)
<p>यहां आपूर्ति को इनवॉयस द्वारा कवर करने के लिए बनाई गई सीमा को समझा जाएगा या भुगतान और भुगतान की रसीद की तारीख के मामले में निम्न को पहले माना जाएगा :</p> <p>आपूर्तिकर्ता की लेखा पुस्तिका में डाली गई भुगतान की तारीख या जिस तारीख को बैंक खाते में भुगतान हुआ है।</p>	
रिवर्स चार्ज बेसिस (उप धारा 3)	(तीन का जल्द से जल्द) <ul style="list-style-type: none"> • वस्तु की रसीद की तारीख। • लेखा पुस्तिका में भुगतान की प्रविष्टि या उसके बैंक खाते में की गई भुगतान की तारीख में से जो पहले हो। • इनवॉयस या अन्य दस्तावेज निर्गत करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जल्द से जल्द।

जहां आपूर्ति के समय का निर्धारण करना संभव नहीं है, वहां आपूर्ति प्राप्तकर्ता की लेखा बही में प्रविष्टि की तारीख	
वाउचर (उप धारा 4)	<ul style="list-style-type: none"> वाउचर जारी करने की तारीख, यदि उस समय पर आपूर्ति पहचान के योग्य हो या अन्य सभी मामलों में वाउचर को छुड़ाने की तारीख
<p>जहां उप धारा (2) या उप धारा (3) या उप धारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत आपूर्ति के समय को निर्धारित करना संभव न हो वहां आपूर्ति का समय होगा –</p> <p>वैसे मामले जहां चरणबद्ध रिटर्न भरा जाना है, जिस तारीख में रिटर्न भरा जाना है या अन्य मामलों में कर भुगतान करने की तारीख को आपूर्ति का समय माना जाएगा।</p>	
<p>आपूर्ति का समय, ब्याज के तरीकों द्वारा आपूर्ति के मूल्य में अतिरिक्त से, किसी भी स्थिति में देरी से किए गए भुगतान में देरी का शुल्क या जुर्माने से सीमा तक संबंधित है, वह तारीख होगी जब आपूर्तिकर्ता इस तरह की अतिरिक्त कीमत प्राप्त करते हैं।</p>	
सेवा के लिए आपूर्ति का समय	
प्रकार	सेवाएं (धारा 13)
सामान्य प्रावधान (उप धारा 2)	<p>(जल्द से जल्द)</p> <ul style="list-style-type: none"> इनवॉयस जारी करने की तारीख यदि (धारा 31 (2)) के अंतर्गत दिए गए समय में जारी हुई है या भुगतान की रसीद की तारीख में, जो भी पहले हो, या सेवा के प्रावधान की तारीख यदि इनवॉयस (धारा 31(2)) के अंतर्गत दिए गए निर्देश की तारीख के अंदर जारी नहीं हुई है या भुगतान की रसीद की तारीख, इसमें जो पहले हो, या अन्य मामलों में लेखाबही में रसीद की प्रविष्टि की तारीख
<p>अतिरिक्त राशि टैक्स इनवॉयस में सूचित ₹ 1000 से अधिक अतिरिक्त प्राप्त राशि होती है।</p>	<p>(आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर) इनवॉयस जारी करने की तारीख (इस तरह की अतिरिक्त राशि के संबंध में)</p>

<p>यहां आपूर्ति को इनवॉयस द्वारा कवर करने के लिए बनाई गई सीमा को समझा जाएगा या भुगतान और भुगतान की रसीद की तारीख के मामले में निम्न को पहले माना जाएगा :</p> <ul style="list-style-type: none"> • आपूर्तिकर्ता की लेखाबही में डाली गई भुगतान की तारीख या • उसके बैंक खाते में की गई भुगतान की तारीख 	
रिवर्स चार्ज बेसिस (उप धारा 3)	<p>(इन्हें जल्द से जल्द)</p> <ul style="list-style-type: none"> • लेखा पुस्तिका में भुगतान की प्रविष्टि या उसके बैंक खाते में की गई भुगतान की तारीख में से जो पहले हो। • इनवॉयस या अन्य दस्तावेज जारी करने की तारीख से 60 दिनों के अंदर में से जो पहले हो।
<p>उद्यमों के साथ जुड़ी हुई सेवाएं : जहां आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर का हो (निम्न में जो पहले)</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्राप्तकर्ता के अकाउंट बुक में प्रविष्टि की तारीख • भुगतान की तारीख 	
वाउचर्स (उप धारा 4)	<ul style="list-style-type: none"> • वाउचर जारी करने की तारीख, यदि उस समय पर सप्लाई पहचान के योग्य हो, या • अन्य सभी मामलों में वाउचर को छुड़ाने की तारीख
<p>जहां उप धारा (2) या उप धारा (3) या उप धारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत आपूर्ति के समय को निर्धारित करना संभव न हो वहां सप्लाई का समय होगा—</p> <ul style="list-style-type: none"> • वैसे मामले जहां चरणबद्ध रिटर्न भरा जाना है, जिस तारीख में रिटर्न भरा जाना है, या • अन्य मामलों में कर भुगतान करने की तारीख को आपूर्ति का समय माना जाएगा। 	
<p>आपूर्ति का समय, ब्याज के तरीकों द्वारा आपूर्ति के मूल्य में अतिरिक्त, किसी भी स्थिति में देरी से किए गए भुगतान में देरी का शुल्क या जुर्माने से सीमा तक संबंधित है, वह तारीख होगी जब आपूर्तिकर्ता इस तरह की अतिरिक्त कीमत प्राप्त करते हैं।</p>	

11. आपूर्ति की प्रकृति

जीएसटी स्थान आधारित कर है, जिसका मतलब है कि टैक्स वहां लगाया जाएगा जहां वस्तु एवं सेवाओं की खपत होती है और उस अवस्था में देय होगा और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी लेन-देन की आपूर्ति के स्थान की सही तरीके से पहचान की जाए। आपूर्ति के सही स्थान को निर्धारित करने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आपूर्ति की प्रकृति को समझा जाए। आईजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उन प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर यह जाना जा सके कि किस आपूर्ति को अंतरराज्यीय (इंटर-स्टेट) या अंतरराज्यीय (इंट्रा-स्टेट) आपूर्ति कहा जाए।

इन सेवाओं को अंतरराज्यीय आपूर्ति समझा जाएगा :

अंतरराज्यीय आपूर्ति (धारा 7)		
आपूर्ति	वस्तुएं	सेवाएं
आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान	दो अलग-अलग राज्यों, दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों या एक राज्य एवं एक केंद्रशासित प्रदेश	दो अलग-अलग राज्यों, दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों या एक राज्य एवं एक केंद्रशासित प्रदेश
आयात	जब ये भारत की कस्टम सीमा को पार करते हैं।	कोई विशेष आवश्यकता नहीं (सभी तरह की आयातित सेवाओं को अंतरराज्यीय आपूर्ति की श्रेणी में रखा जाएगा।
आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित हो और आपूर्ति की जगह भारत से बाहर हो।		
विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक जोन यूनिक के लिए या उसके द्वारा		
करयोग्य क्षेत्र में, अंतरराज्यीय आपूर्ति नहीं होती है और कहीं किसी सेक्शन में नहीं रखा जाता।		

इन आपूर्ति को अंतर्राज्यीय आपूर्ति समझा जाएगा :

अंतर्राज्यीय आपूर्ति (धारा 8)		
आपूर्ति	वस्तुएं	सेवाएं
आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान	एक ही राज्य या एक ही केंद्रशासित प्रदेश	एक ही राज्य या एक ही केंद्रशासित प्रदेश
इन्हें अंतर्राज्यीय आपूर्ति नहीं माना जाएगा		
	<ul style="list-style-type: none"> विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट के लिए या उसके द्वारा की गई वस्तुओं की आपूर्ति भारत के अधिकार क्षेत्र में किए गए वस्तुओं की आयात जब तक कि वे भारत की सीमाशुल्क सीमा को पार करते हैं। धारा 15 में दिए गए निर्देश के अनुसार पर्यटक के लिए बनाई गई वस्तुओं की आपूर्ति 	

12. आपूर्ति का स्थान

कर की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए आपूर्ति का स्थान जीएसटी में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह कर उपभोग राज्य की आगम का हिस्सा है। जब कोई माल या सेवा किसी अन्य राज्य में बेची जाती है तथा उस राज्य में उसका अंतिम उपभोग होता है तो जीएसटी उस राज्य की आय का हिस्सा बनेगी।

वस्तुओं की सप्लाई का स्थान

जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10 भारत में आयात होने वाली और यहां से निर्यात होने वाली वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान का विवरण देता है।

वस्तुओं के आवाजाही के साथ-साथ आपूर्ति (आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा)

उस समय वस्तुओं की स्थिति जब वस्तुओं को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए उसकी आवाजाही रोक दी गई हो।

वस्तुओं का वितरण (आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्राप्तकर्ता या किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर अन्य को) या तो वस्तुओं के टाइटल के दस्तावेजों के स्थानांतरण के तरीके से या फिर अन्य तरीके से।

निर्देश देने वाले व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान

वस्तुओं की आवाजाही के बिना आपूर्ति (आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के द्वारा)

प्राप्तकर्ता को पहुंचाने के समय इस तरह की वस्तुओं का स्थान

वस्तुओं का इंस्टॉलेशन/असेंबलिंग

इस तरह के इंस्टॉलेशन या असेंबलिंग का स्थान

बोर्ड पर वस्तुओं की आपूर्ति वाहन

वह स्थान जहां इस तरह की वस्तुएं बोर्ड पर ले जाई गईं

आपूर्ति का स्थान

एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 12 भारत में रहने वाले आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की सेवा की आपूर्ति के स्थान की सूची प्रदान करता है।

(उपधारा) उपयुक्तता	प्रकार	सेवा की आपूर्ति का स्थान
(2) सामान्य प्रावधान	पंजीकृत व्यक्ति के लिए बनाया गया	इस तरह के व्यक्ति की लोकेशन
	गैर पंजीकृत व्यक्ति के लिए बनाया गया	<ul style="list-style-type: none"> – रिकॉर्ड्स में दिए गए पते के अनुसार प्राप्तकर्ता की लोकेशन – अन्य मामलों में सेवा के आपूर्तिकर्ता की लोकेशन
(3) अचल संपत्ति नाव या पोत	आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर के द्वारा प्रदान की गई सर्विस या अचल संपत्ति के उपयोग के लिए अधिकार दिए जाने के रास्ते दी गई सेवा या निर्माण कार्य करना या उसका समन्वयन करना	लोकेशन जहां अचल संपत्ति नाव या पोत अवस्थित है या फिर अवस्थित होने का विचार है।
	ठहरने के लिए उपयोग किए गए तरीके जिसमें हाउसबोट या पोत भी शामिल हैं।	
	शादी के समारोह के लिए स्थान, ऑफिशियल, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या व्यावसायिक समारोह जिसमें इसके लिए प्रदान की गई सेवा भी शामिल है, से संबंधित मामले।	
	उपर्युक्त सेवा के लिए कोई सहायक सेवा	
	अगर अचल संपत्ति या नाव या पोत भारत से बाहर अवस्थित हैं या फिर अवस्थित होने का विचार है।	

अचल संपत्ति/ नाव/पोत	एक से ज्यादा राज्यों में अवस्थिति	प्राप्त सेवा या अनुबंध या जैसा कि निर्देश दिया गया है की कीमत के आधार पर राज्यों के बीच आनुपातिक आवंटन
(4) विशिष्ट सेवाएं	ब्यूटी पार्लर, फिटनेस, रेस्तरा, और कैंटरिंग सर्विसेज जैसी सेवाएं	वह स्थान जहां सेवा का सही में उपयोग किया गया है।
(5) प्रशिक्षण और प्रदर्शन का मूल्यांकन	पंजीकृत व्यक्तियों के लिए	इस तरह के व्यक्ति का लोकेशन
	अपंजीकृत व्यक्तियों के लिए	उस जगह का लोकेशन जहां वास्तव में सेवा प्रदान की गई हो
(6) इस तरह की सेवाएं	सांस्कृतिक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, मनोरंजन या मनोरंजन पार्क आदि के इवेंट में प्रवेश या इससे जुड़ी अन्य जगहों एवं सेवाएं जो इसके सहायक हों।	जहां वास्तव में इवेंट का आयोजन हुआ या जहां इस तरह के पार्क या स्थान अवस्थित हैं।
(7) सांस्कृतिक, कला, खेल आदि से संबंधित संगठन और किसी भी तरह के इवेंट या इस तरह के इवेंट के प्रायोजकों के लिए सहायक सेवाएं।	पंजीकृत व्यक्ति के लिए	ऐसे व्यक्ति की लोकेशन
	अपंजीकृत व्यक्ति के लिए	वो स्थान जहां वास्तव में इवेंट आयोजित हुआ
	भारत के बाहर आयोजित इवेंट	प्राप्तकर्ता की लोकेशन
	एक से अधिक राज्यों में आयोजित	प्राप्त सेवाओं के मूल्य या अनुबंध के अनुसार या जैसा कि निर्देश दिया गया है, राज्यों के बीच आनुपातिक आवंटन इस तरह के स्थानों की लोकेशन
(8) वस्तुओं का परिवहन जिसमें मेल या कुरियर के द्वारा भेजा जाना भी शामिल है।	पंजीकृत व्यक्ति के लिए	इस तरह के व्यक्तियों की लोकेशन
	अपंजीकृत व्यक्ति के लिए	वह लोकेशन जहां इस तरह की वस्तुओं को परिवहन के लिए सौंपा जाता है।

(9) यात्री परिवहन सेवा	पंजीकृत व्यक्ति	ऐसे व्यक्ति की लोकेशन
	अपंजीकृत व्यक्ति	वह स्थान जहां से यात्री ने लगातार यात्रा के लिए वाहन लिया है।
भविष्य के उपयोग के लिए पैसेज का अधिकार दिया जाता है और पैसेज के अधिकार के जारी किए जाने के समय यात्रा शुरू करने की जगह का पता न होना	पंजीकृत व्यक्ति के लिए	ऐसे व्यक्ति की लोकेशन
	अपंजीकृत व्यक्ति के लिए	अपंजीकृत व्यक्ति के लिए – प्राप्तकर्ता की लोकेशन जहां पता रिकॉर्ड में मौजूद हो – अन्य मामलो में सेवओं के सप्लायर का लोकेशन
* वापसी यात्रा को अलग यात्रा के तौर पर देखा जाएगा, यहां तक कि आगे की यात्रा या वापसी यात्रा के लिए पैसेज का अधिकार भी उसी समय जारी किया जाता है।		
(10) वाहन की सवारी	पोत, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या कोई मोटर वाहन सहित	यात्रा के लिए वाहन के प्रस्थान बिंदु की लोकेशन
(12) बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं	किसी व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकिंग सेवा देने सहित	– सेवा आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड में सेवा प्राप्त करने वाले की लोकेशन या – यदि प्राप्तकर्ता की लोकेशन उपलब्ध नहीं है, तो सेवा सप्लायर की लोकेशन
(13) बीमा सर्विस	पंजीकृत व्यक्ति के लिए	उस व्यक्ति की लोकेशन
	अपंजीकृत व्यक्ति के लिए	सेवा सप्लायर के रिकॉर्ड में सेवा प्राप्त करने वाले की लोकेशन

दूरसंचार सेवा की आपूर्ति का स्थान

एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 12 (11) में दूरसंचार की आपूर्ति के स्थान की पहचान के लिए प्रावधान है, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए डाटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, घरेलू टेलीविजन सेवाओं के लिए केबल और डाइरेक्ट टू होम आदि सेवाएं भी शामिल हैं।




- किसी अन्य मामले में, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड के अनुसार प्राप्तकर्ता का पता हो और जहां ऐसा पता उपलब्ध न हो, तो आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता की लोकेशन होगा।
- अगर प्री-पेड सेवा उपलब्ध कराई जाती है या इंटरनेट बैंकिंग या भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए रिचार्ज किया जाता है, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड में दर्ज सेवाओं के प्राप्तकर्ता की लोकेशन ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान होगी।

जहां एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लीज्ड सर्किट इंस्टॉल किया जाता है और ऐसे सर्किट के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक समेकित राशि चार्ज की जाती है, प्राप्त सेवाओं के मूल्य या अनुबंध के अनुसार या जैसा कि निर्देश दिया गया है, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सेवाओं की आपूर्ति के स्थान का आनुपातिक आवंटन।

13. आपूर्ति का मूल्य


जीएसटी के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य लेन-देन मूल्य है। लेन-देन मूल्य का मतलब है कही गई वस्तु या सेवा या दोनों के लिए भुगतान की गई या भुगतान योग्य वास्तविक कीमत, जहां आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति का प्राप्तकर्ता संबंधित न हों और कीमत आपूर्ति के लिए एकमात्र विचार योग्य हो।



आपूर्ति का मूल्य		
सम्मिलित	असम्मिलित डिस्काउंट	
जीएसटी अधिनियम के अतिरिक्त वर्तमान में लागू अन्य कानून के तहत कोई कर, ड्यूटी, उपकर, फीस और शुल्क	आपूर्ति के समय या उससे पहले: इनवॉयस में डिस्काउंट विधिवत दर्ज किया गया है	आपूर्ति के बाद: एक समझौते के संदर्भ में स्थापित और संबंधित इनवॉयस इनपुट टैक्स क्रेडिट से विशेष रूप से जुड़ा हुआ, डिस्काउंट के योग्य प्राप्तकर्ता द्वारा वापस किया गया।
औचक खर्चे		
किसी भी आपूर्ति के लिए किसी मुआवजे के देर से भुगतान के लिए ब्याज, देरी शुल्क या जुर्माना		
के द्वारा प्रदान कीमत असम्मिलित सब्सिडीज से प्रत्यक्ष तौर पर लिंक सब्सिडीज		

14. इनपुट टैक्स क्रेडिट

इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा माध्यम है जिसमें आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स को घटाया या समायोजित किया जाता है। निम्नलिखित चित्र की मदद से इसे समझा जा सकता है :



इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जीएसटी की आधारशिला माना जा रहा है। पूर्व कर व्यवस्था में, सप्लाय चैन के विभिन्न केंद्रों पर क्रेडिट की उपलब्धता नहीं थी, जो कर पर व्यापक असर का कारण बनता था और वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ाता था। जीएसटी में यह दोष नहीं है और पूरी वैल्यू चैन में अबाधित प्रवाह प्रदान किया जाएगा जो कर के व्यापक प्रभाव को कम करने में मदद करता है।

जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स यानी केंद्रीय कर (सीजीएसटी), राज्य कर (एसजीएसटी), एकीकृत कर (आईजीएसटी) या संघीय क्षेत्र कर पंजीकृत व्यक्ति को वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति या दोनों पर लगाया जाता है। आईटीसी के लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि ऐसे लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीएसटी के तहत पंजीकृत हो। अपंजीकृत व्यक्ति आईटीसी के लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है।


सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 आईटीसी के लाभ लेने की स्थितियों और योग्यता के बारे में बताती है। एक पंजीकृत कर देने योग्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

- उसके पास कर इनवॉयस या डेबिट नोट या निर्धारित किया गया कोई अन्य कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए;
- उसे सामान या सेवा या दोनों प्राप्त होने चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता को सरकार के संबंध में आपूर्ति में लगाए गए कर का वास्तव में भुगतान करना चाहिए; और
- उसे धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

(जहां एक इनवॉयस के बदले सामान एक साथ या किश्त में प्राप्त किया जाता है, पंजीकृत व्यक्ति अंतिम आपूर्ति या किश्त की रसीद पर क्रेडिट लेने का हकदार होगा)

प्राप्तकर्ता के लिए आईटीसी की उपलब्धता आपूर्तिकर्ता द्वारा कर के भुगतान पर निर्भर बनाई गई है। इस तरह, भले ही प्राप्तकर्ता ने आपूर्तिकर्ता को कर का भुगतान कर दिया हो और खरीदे गए सामान और/या सेवाएं आईटीसी के लिए पात्रा हो लेकिन जब तक सप्लायर एकत्रित किए गए कर को सरकार को जमा नहीं करता है तब तक कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही अगर प्राप्तकर्ता आपूर्ति की राशि और उस पर देय कर इनवॉयस जारी होने की तिथि से 180 दिनों के अंदर देने में असफल होता है, तो प्राप्तकर्ता उसके द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट व उस पर ब्याज जितनी राशि और साथ में आउटपुट टैक्स देयता के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

आईटीसी का उपयोग



सीजीएसटी और एसजीएसटी का कुल उपयोग उपलब्ध नहीं है

15. टैक्स इनवॉयस, क्रेडिट और डेबिट नोट्स

जीएसटी में जब भी कोई लेन-देन होता है तो विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग तरह के दस्तावेज जारी होते हैं, जैसे इनवॉयस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और सप्लाइ का बिल इत्यादि।

इनवॉयस

इनवॉयस दिखाती है कि खरीदार को विक्रेता को क्या भुगतान करना जरूरी है। हर बिक्री/ खरीद पर आपूर्तिकर्ता द्वारा (जो बिक्री कर रहा है) इनवॉयस जारी की जाती है। इनवॉयस सप्लायर, खरीदार, लगाया कर और अन्य विवरण जैसे डिस्काउंट, बिक्री की शर्तों आदि के साथ उत्पाद या सेवा का विस्तृत लेखा-जोखा प्रदान करती है।

माल के लिए इनवॉयस इस समय पर या पहले जारी करने की जरूरत होती है –

- प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए माल भेजते हुए, जहां आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल होती है; या
- माल की डिलिवरी करते या उसे प्राप्तकर्ता के लिए उपलब्ध बनाते हुए किसी अन्य मामले में सेवाओं के एक पंजीकृत कर योग्य सप्लायर को निम्नलिखित समय में इनवॉयस जारी करने की जरूरत है :


सामान्य प्रावधान	सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति के मामले में, इनवॉयस आपूर्ति की तारीख से तीस दिनों के अंदर जारी होगी। (अगर सेवाओं का आपूर्तिकर्ता एक बीमा कंपनी या एक बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान सहित है, तो इनवॉयस सेवाओं की आपूर्ति के 45 दिनों में जारी होगी)
सेवाओं की निरंतर आपूर्ति	ऐसी हर स्टेटमेंट समय पर या पहले जारी की जाती है या, जैसी स्थिति हो, ऐसा हर भुगतान प्राप्त किया जाता है।
अनिवार्य देय तिथि वाली निरंतर आपूर्ति	भुगतान की अंतिम तारीख पर या उससे पहले।

अनिश्चित देय तिथि वाली निरंतर आपूर्ति	सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के भुगतान प्राप्त करने के समय पर या उससे पहले।
निरंतर आपूर्ति जहां भुगतान कार्यक्रम के पूरा होने से जुड़ा हुआ हो	कार्यक्रम पूरा होने की तारीख पर या उससे पहले।
जब आपूर्ति पूरी होने से पहले अनुबंध खत्म हो जाता है	जब आपूर्ति खत्म हो जाती है और ऐसी इवॉयस ऐसी समाप्ति से पहले की गई आपूर्ति की सीमा तक जारी किए जाएंगे।

जहां बिक्री या वापसी के लिए स्वीकृति पर माल भेजा या ले जाया जा रहा है, वहां आपूर्ति होने से पहले हटा दिया जाता है, इनवॉयस आपूर्ति के समय या हटाने की तारीख से छह महीने के अंदर, जो भी पहले हो, जारी की जाएगी। यहां "टैक्स इनवॉयस" में पहले की गई आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी की गई कोई संशोधित इनवॉयस शामिल होगी। सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, वस्तु या सेवाओं की श्रेणियों को उल्लेखित कर सकती है जिनके संबंध में टैक्स इनवॉयस जारी की जाएगी या आपूर्ति के संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज को टैक्स इनवॉयस माना जाएगा।

एक संशोधित इनवॉयस एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से एक महीने के अंदर जारी की जा सकती।

इनवॉयस को माल की सर्पुदगी के संबंध में तीन प्रतियों में तथा सेवा की स्थिति में दो प्रतियों में जारी किया जाता है।



यद्यपि सभी जीएसटी करदाता अपना इनवॉयस फॉर्मेट तैयार करने के लिए मुक्त हैं, यह आवश्यक है कि इनवॉयस नियम में उल्लेखित कुछ क्षेत्रों को सभी इनवॉयस में शामिल किया जाना चाहिए।

आपूर्ति का बिल

आपूर्ति का बिल इनके द्वारा जारी किया जाएगा :


- छूट प्राप्त वस्तु या सेवा या दोनों को आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति; या
- धारा 10 के प्रावधानों के तहत कर भुगतान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति

प्राप्ति वाउचर

जब किसी वस्तु एवं सेवा या दोनों की किसी आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक प्राप्ति वाउचर जारी करने की जरूरत होती है। आगे, अगर प्राप्ति वाउचर जारी होने के बाद कोई आपूर्ति नहीं जाती है और कोई इनवॉयस जारी नहीं होती है, तो पंजीकृत व्यक्ति भुगतान करने वाले व्यक्ति को उस भुगतान के खिलाफ रिफंड वाउचर जारी कर सकता है।

क्रेडिट नोट या डेबिट नोट


एक पंजीकृत व्यक्ति को निश्चित परिस्थितियों में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करने की जरूरत होती है। निम्नलिखित तालिका में ऐसी परिस्थितियों का सारांश दिया गया है :



डिलिवरी चालान

इनवॉयस नियम कुछ ऐसी स्थितियों को सूचित करते हैं जिनमें इनवॉयस के बदले डिलिवरी चालान, क्रमांकित, जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां निम्नलिखित हैं :

- लिक्विड गैस की सप्लाई में जहां आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय की जगह से निकलने के समय मात्रा की जानकारी न हो;
- नौकरी के काम के लिए वस्तुओं का परिवहन;
- आपूर्ति के जरिए अन्य कारणों के लिए वस्तुओं का परिवहन; या
- बोर्ड द्वारा अधिसूचित हो सकने वाली ऐसी अन्य सप्लाई।



जहां कर इनवॉयस आपूर्ति के उद्देश्य से माल भेजते समय जारी नहीं की जा सकती वहां आपूर्तिकर्ता को माल की डिलिवरी के बाद कर इनवॉयस जारी करनी होगी।

जहां माल सेमी नॉकड डाउन या पूर्णतः नॉकड डाउन स्थिति में ढोया जा रहा हो :

- आपूर्तिकर्ता को माल की पहली खेप भेजने से पहले पूर्ण इनवॉयस जारी करनी होगी;
- आपूर्तिकर्ता को माल की पहली खेप के बाद हर खेप के लिए इनवॉयस का संदर्भ देते हुए डिलिवरी चालान जारी करना होगा;
- माल की हर खेप संबंधित डिलिवरी चालान की कॉपियों और इनवॉयस की विधिवत प्रमाणित कॉपी के साथ भेजी जाएगी; और
- इनवॉयस की मूल कॉपी माल की आखिरी खेप के साथ भेजी जाएगी।

16. रिटर्न

कानून के अनुसार, एक करदाता को प्रशासनिक प्राधिकरण के साथ एक दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत होती है, जिसे 'रिटर्न' के तौर पर जाना जाता है। जीएसटी के तहत कई तरह के रिटर्न होते हैं जैसे पहली रिटर्न, मासिक रिटर्न, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिटर्न, वार्षिक रिटर्न और अंतिम रिटर्न। जीएसटी के तहत, सब कुछ ऑनलाइन होगा और नियमित तौर पर अपडेट करना होगा। रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया निम्न प्रकार से पांच हिस्सों में बांटी जा सकती है:



संशोधित रिटर्न की अवधारणा जीएसटी रिटर्न नियमों के तहत नहीं दी गई है और इस कारण से, व्यवसायों के बेमेल क्रेडिट को क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स और सप्लीमेंट्री इनवॉयस के जरिए प्राप्त और पुनः प्राप्त करना होगा। रिटर्न नियमों में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अलग-अलग फॉर्म भरने का निर्धारण किया गया है। एक संक्षिप्त सूची नीचे दी गई है :

फॉर्म	उपयुक्तता	प्रकार	समय-सीमा
जीएसटीआर-1	हर पंजीकृत व्यक्ति (एक आईएसडी के अतिरिक्त, एक गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10/51/52 के तहत कर भुगतान करने वाला व्यक्ति)	बाहर भेजी गई आपूर्ति	अगले माह की 10 तक या उससे पहले
जीएसटीआर-2		आने वाली आपूर्ति	10वें दिन के बाद लेकिन कर की अवधि के बाद महीने के 15वें दिन तक या उससे पहले

जीएसटीआर-3		मासिक रिटर्न	अगले माह की 20 तक या पहले
जीएसटीआर-4	पंजीकृत कंपोजिशन सप्लायर	त्रैमासिक रिटर्न	प्रत्येक तिमाही के अंत के 18 दिनों के अंदर
जीएसटीआर-5	हर पंजीकृत गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति	आंतरिक और बाहरी आपूर्ति	(जो भी पहले हो) कैलेंडर माह खत्म होने के बाद के 20 दिनों के अंदर या पंजीकरण की अवधि के अंतिम दिन के बाद सात दिनों के अंदर (धारा 27(1))
जीएसटीआर-6	प्रत्येक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी)	कर इनवॉयस का विवरण	अगले माह की 13 तारीख से पहले
जीएसटीआर-7	स्रोत पर कर कटौती करने वाला हर पंजीकृत व्यक्ति (धारा 51)	टीडीएस का विवरण	जिस माह कटौती की गई उसके खत्म होने के बाद 10 दिनों के अंदर
जीएसटीआर-8	हर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को कर कटौती करने की जरूरत होती है (धारा 52)	टीसीएस का विवरण	जिस माह कर कटौती की जाए उसके खत्म होने के बाद 10 दिनों के अंदर
जीएसटीआर-9	हर पंजीकृत व्यक्ति (आईएसडी, गैर-निवासी कर योग्य, धारा 10, 51, 52) और अनौपचारिक करयोग्य व्यक्ति)	वार्षिक रिटर्न	अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर तक
जीएसटीआर-10	करयोग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द या समर्पित कर दिया गया है	अंतिम रिटर्न	रद्द करने की तारीख या ऑर्डर रद्द करने की तारीख के तीन माह के अंदर, जो भी बाद में हो

वर्तमान परिदृश्य में एक अतिरिक्त रिटर्न फॉर्म 3बी प्रति माह प्रत्येक करदाता को मार्च 2018 तक प्रत्येक माह दाखिल करनी होगी जिसकी अंतिम तिथि अगले माह की 20 तारीख होगी।

सरकार ने करदाताओं के हित में जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि इस प्रकार अधिसूचित की है :
तिमाही रिटर्न (करदाता जिनकी वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ तक है)

अवधि (तिमाही)	अंतिम तिथि
जुलाई – सितम्बर	10 जनवरी 2018
अक्टूबर – दिसम्बर	15 फरवरी 2018
जनवरी – मार्च	30 अप्रैल 2018

मासिक रिटर्न (करदाता जिनकी वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ से अधिक है)

अवधि	अंतिम तिथि
जुलाई – नवम्बर	10 जनवरी 2018
दिसम्बर	10 फरवरी 2018
जनवरी	10 मार्च 2018
फरवरी	10 अप्रैल 2018
मार्च	10 मई 2018

जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 की दाखिल करने की अंतिम तिथि सरकार ने अभी तक अधिसूचित नहीं की है।

जीएसटी व्यवस्था के अंदर वस्तुएं, सामंजस्य नामावली प्रणाली (एचएसएन) के तहत वर्गीकृत की जाएंगी जबकि सेवाएं सेवाएं लेखाकरण कोड (एसएसी) के तहत वर्गीकृत होंगी। एचएसएन करोबारी उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए नाम और संख्या की एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत प्रणाली है। वर्तमान में, एचएसएन कोड वस्तुओं को मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिटर्न नियमों में उल्लेखित है कि हर इनवॉयस से संबंधित सामंजस्य नामावली प्रणाली कोड को जमा किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एचएसएन कोड का प्रकटीकरण करदाता के वार्षिक कारोबार पर निर्भर करेगा।

एचएसएन कोड की आवश्यकता	
वार्षिक कारोबार	आवश्यकताएं
1.5 करोड़ रुपए तक	वस्तुओं का वर्णन
1.5 करोड़ रुपए से 5 करोड़	एचएसएन कोड के 2 अंक स्तर का प्रकटीकरण
5 करोड़ से अधिक	एचएसएन कोड के 4 अंक स्तर का प्रकटीकरण

17. भुगतान

भारत तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। जीएसटी ने करों के भुगतान का आसान एवं सरल तरीका उपलब्ध कराया है। जीएसटी व्यवस्था के अधीन सभी करदाताओं को तीन इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते नामतः ई-कैश बहीखाता, ई-क्रेडिट बहीखाता और ई-लायबिलिटी बहीखाता अपने जीएसटी प्रोफाइल के माध्यम से तैयार करने होंगे।

ई-कैश बहीखाता : खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, जो कर, ब्याज, जुर्माना, बिलंब शुल्क या अन्य कोई भी राशि का भुगतान करता है उसे जमा की गई राशि को निकालने और उससे कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या अन्य कोई भी राशि का भुगतान करने के बारे में कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश बहीखाता के तौर पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी-05 तैयार करना होगा। इस प्रकार, कॉमन प्लेटफॉर्म पर बनाए गए ई-कैश बहीखाते से पैसा निकालकर नगद भुगतान किया जा सकता है। कैश बहीखाते पर पैसा विभिन्न तरीकों जैसे ई-भुगतान (इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि); रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आटीजीएस) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी); जीएसटी का जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत बैंकों में भुगतान काउंटर्स (नगद, चैक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा रु. दस हजार प्रति चालान प्रति कर अवधि तक जमा के लिए) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में एक चालान जनरेट करना जरूरी है और उसमें कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क के तौर पर जमा की गई राशि या अन्य कोई भी जमा की गई राशि दर्ज करनी होगी। कॉमन प्लेटफॉर्म पर जनरेट किया गया फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

ई-लायबिलिटी एवं ई-क्रेडिट बहीखाता : प्रत्येक पंजीकृत करदाता को फॉर्म जीएसटी पीएमटी-01 में एक इलेक्ट्रॉनिक देनदारी बहीखाता का रिकार्ड बनाना जरूरी है और उसे ऐसे रजिस्टर में भुगतान की जाने वाली सभी राशि का विवरण देना होगा। अधिनियम के अंतर्गत कॉमन पोर्टल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए फॉर्म जीएसटी पीएमटी-02 में एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाता तैयार करना होगा और अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रत्येक दावे को इस बहीखाते में जमा नामे डाला जाएगा।

पंजीकृत करदाता व्यक्ति द्वारा प्रत्येक देनदारी का भुगतान ई-लायबिलिटी बहीखाता या ई-कैश बहीखाता में खर्च नामे द्वारा किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक कर देनदारी रजिस्टर में मांग खर्च की कोई भी राशि या लगाए गए जुर्माने की राशि या लगाये जाने वाले जुर्माने की राशि अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय द्वारा दी गई छूट के अनुसार घटाई जाएगी या यदि करदाता व्यक्ति कारण बताओ नोटिस या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करता है तो यह इलेक्ट्रॉनिक देनदारी रजिस्टर में तदनुसार जमा नामे दिखानी होगी।

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न हुए व्यक्ति द्वारा कोई भी जरूरी भुगतान कॉमन पोर्टल के माध्यम से जनरेट किए गए अस्थाई पहचान नम्बर के आधार पर किया जाएगा।

जीएसटी अधिनियम(मों) के अंतर्गत भुगतान प्रक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

- सभी तरह के भुगतान के लिए जीएसटीएन पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट हुए चालान का उपयोग और मैनुअल चालान का कोई उपयोग नहीं है;
- करदाता के लिए इंस्टैंट-मुक्त, किसी भी समय, कहीं से भी कर भुगतान करने की सुविधा;
- ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा;
- इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में तर्कसंगत कर संग्रहण डाटा;
- सरकारी खाते में कर राजस्व का त्वरित भुगतान;
- कागजरहित लेनदेन;
- त्वरित लेखाकरण और रिपोर्टिंग;
- सभी प्राप्तियों का इलेक्ट्रॉनिक पुनर्मिलान;
- बैंकों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया।

18. लेखा और रिकार्ड

एक पंजीकृत व्यक्ति को उचित लेखा और रिकार्ड रखना जरूरी है और इसे अपने व्यवसाय के पंजीकृत प्रमुख स्थल पर रखना आवश्यक है। यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्देशित व्यापार के एक से ज्यादा स्थल हैं तो व्यापार के प्रत्येक स्थल पर व्यापार से संबंधित ऐसे लेखें रखे जाएंगे। डिजिटलीकरण को सुगम बनाने के लिए जीएसटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में लेखे और अन्य रिकार्ड रखने की सुविधा उपलब्ध है। तैयार किए जाने वाले लेखाओं की सूची निम्नानुसार है:

- माल का उत्पादन या विनिर्माण;
- आने वाले माल और बाहर भेजे जाने वाले माल या सेवाएं या दोनों;
- माल का स्टॉक;
- उठाया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट;
- भुगतान योग्य या भुगतान किया गया आउटपुट टैक्स; और
- ऐसे कोई अन्य विवरण जिसे निर्धारित किया गया हो।

वेयरहाउस या गोदाम के मालिक या ऑपरेटर या माल के भंडारण के लिए उपयोग किया गया अन्य कोई स्थान और प्रत्येक ट्रांसपोर्टर, चाहे वह पंजीकृत व्यक्ति हैं या नहीं, उस पर ध्यान दिए बिना, को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल भेजने वाले, माल प्राप्त करने वाले और माल के अन्य संगत विवरणों का रिकार्ड रखना होगा।


जीएसटी के अंतर्गत लेखा और रिकार्ड रखने की समय अवधि ऐसे लेखा एवं रिकार्ड के संबंध में वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की नियत तिथि से बहत्तर माह है। एक पंजीकृत व्यक्ति जो किसी अपीलीय प्राधिकरण या पुनःसंशोधन प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के सम्मुख किसी भी अपील या संशोधन या किसी अन्य कार्यवाही, चाहे उसके द्वारा दाखिल की गई हो या कमिशनर द्वारा या अध्याय XIX के अंतर्गत किसी अपराध के लिए जांच के अधीन हो, के अंतर्गत एक पार्टी है, उसे ऐसी अपील या संशोधन या कार्यवाही या जांच के मामले से संबंधित लेखाबही ऐसे अपील या संशोधन या कार्यवाही या जांच के अंतिम निपटान के बाद एक वर्ष या उपरोक्त विनिर्दिष्ट अनुसार अवधि, जो भी बाद में हो, के लिए रखना होगा।

19. जॉब कार्य

बड़ी संख्या में उद्योग विनिर्माण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए बाहरी सहयोग पर निर्भर होते हैं। जॉब कार्य का मतलब अन्य करदाता व्यक्ति से संबंधित माल पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रबंध या प्रक्रम का निष्पादन करना है। अन्य व्यक्ति से संबंधित माल का प्रबंध या प्रक्रम करने वाले व्यक्ति को 'जॉब वर्कर' कहा जाता है और जिसका माल है उस व्यक्ति को 'प्रिंसिपल' कहा जाता है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 143(1) के अंतर्गत, प्रिंसिपल, सूचना और निर्धारित शर्तों के अधीन आगे प्रोसेसिंग या प्रक्रम के लिए कर का भुगतान किए बिना जॉब वर्कर को इनपुट या कैपिटल गुड्स भेज सकता है और उसके बाद किसी अन्य दूसरे जॉब वर्कर को भेज सकता है तथा चाहे तो ऐसे इनपुट/कैपिटल गुड्स को जॉब कार्य पूर्ण होने के बाद या जॉब कार्य की पूर्णता के बाद ऐसे इनपुट/कैपिटल गुड्स को भेजे जाने या आपूर्ति करने के 1 वर्ष/3 वर्ष के भीतर वापिस ले सकता है या भारत के भीतर कर का भुगतान करके या निर्यात के लिए कर का भुगतान या बिना कर भुगतान किए जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थान से माल भेजने से 1 वर्ष/3 वर्ष के भीतर वापिस पा सकता है।

कैपिटल गुड्स में मोल्ड और डाइज, जिग्स और फिक्चर्स या औजार शामिल नहीं हैं।



जीएसटी व्यवस्था के अधीन, जब करदाता व्यक्ति द्वारा जॉब वर्कर को माल भेजा जाता है, तो इसे आपूर्ति माना जाएगा और यदि भेजा गया माल 1 वर्ष या इनपुट या कैपिटल गुड्स के मामले में 3 वर्ष, जैसा भी मामला हो, के भीतर वापिस नहीं प्राप्त किया जाता है, तो यह जीएसटी के अधीन आ जाएगा।

इसके अलावा, प्रिंसिपल यदि निम्नलिखित दो शर्तों को छोड़कर व्यवसाय के अपने अतिरिक्त स्थान के रूप में जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थान की घोषणा करता है, तो ही वह जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थान से माल की आपूर्ति कर सकता है।


- जहां जॉब वर्कर खण्ड 25 के अधीन पंजीकृत है; और
- जहां प्रिंसिपल ऐसे सामान जैसा कि कमिशनर द्वारा अधिसूचित है, की आपूर्ति में संलग्न रहता है।

जॉब कार्य के मामले में इनपुट क्रेडिट

प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का पात्र है। यद्यपि, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 में इस बात का उल्लेख है कि आईटीसी केवल तभी प्रदान की जाएगी जब माल वास्तव में प्राप्त होता है, लेकिन जॉब कार्य के मामले में इस शर्त से छूट है और आईटीसी का लाभ चाहे तो प्रिंसिपल के व्यवसाय स्थान को माल भेजे बिना सीधे जॉब वर्कर को इनपुट या कैपिटल गुड्स भेजने के मामले भी उठाए जा सकते हैं।

20. निर्धारण

निर्धारण का मतलब सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कर दायित्वों का निर्धारण करना है जिसमें निम्नलिखित प्रकार के कर निर्धारण शामिल हैं :




प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत देय करों का स्व-निर्धारण करना जरूरी है और प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न भरना आवश्यक है।

वैकल्पिक निर्धारण तब किया जाता है जब करयोग्य व्यक्ति माल एवं सेवा के मूल्य का निर्धारण या दोनों या उस पर लगने वाले कर का निर्धारण न कर पा रहा हो और ऐसे मामले में वैकल्पिक आधार पर कर के भुगतान के लिए कारण देते हुए लिखित में उचित अधिकारी को अनुरोध पत्र देना होता है तथा उपयुक्त अधिकारी को ऐसे अनुरोध पत्र के प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर उसके द्वारा निर्धारित कोई दर या ऐसे मूल्य पर वैकल्पिक आधार पर कर भुगतान की अनुमति करने का आदेश देना होगा।

सारांश निर्धारण तब किया जाता है जब कोई अधिकारी यह मानता है कि निर्धारण में कोई भी विलंब राजस्व के ब्याज को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

21. ऑडिट

जीएसटी के अंतर्गत ऑडिट निम्नलिखित दो तरीकों से किया जा सकता है:



सामान्य ऑडिट : ऑडिट करने से पहले पंजीकृत व्यक्ति को पन्द्रह कार्यदिवस पूर्व सूचना भेजना जरूरी होगा। ऑडिट को इसके प्रारंभ करने की तिथि से तीन माह के भीतर समाप्त करना आवश्यक है लेकिन लिखित में कारण देने पर कमिश्नर द्वारा आगे छह माह ही अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑडिट की समाप्ति के बाद, उपयुक्त अधिकारी तीस दिन के भीतर पंजीकृत व्यक्ति जिसके रिकार्ड का ऑडिट हुआ है, उसे जांच, उनके अधिकारों या ऐसी जांचों के लिए बाध्यताओं एवं कारणों के बारे में सूचित करेगा।

विशेष ऑडिट : छानबीन, पूछताछ, जांच या कार्यवाही के दौरान किसी भी चरण में यदि किसी अधिकारी, सहायक आयुक्त के रैंक से कम नहीं, के सम्मुख मामले और राजस्व ब्याज में कोई जटिलता दिखती है और उसे लगता है कि मूल्य को सही घोषित नहीं किया गया है या उठाया गया क्रेडिट सामान्य सीमा के भीतर नहीं है तो वह ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के खिलाफ उसके बहीखाते की जांच एवं लेखापरीक्षा का विशेष ऑडिट करने के लिए कमिश्नर को लिखित में अपनी अनुशंसा भेज सकता है। नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित ऑडिट की रिपोर्ट 90 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य है। तथापि, इस अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति को उप-खण्ड (1) या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विशेष ऑडिट के आधार पर इकट्ठा की गई सामग्री के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। विशेष ऑडिट आयोजित करने के बाद सही कर भुगतान नहीं करने या कम कर भुगतान करने या रिफंड गलत तरीके से वापिस लेने या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट होने या उसका सही उपयोग न करने का दोषी पाये जाने पर उपयुक्त अधिकारी उचित कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

22. जीएसटी के लाभ

जीएसटी सभी हितधारकों यथा उद्योगों, सरकार और नागरिकों को कई लाभ प्रदान करेगा। कुछ लाभ नीचे वर्णित किए गए हैं :

क्रेडिट का बिना रूकावट संचालन : जीएसटी एक कॉमन कर आधार के अंतर्गत समग्र मूल्य शृंखला और सभी राज्यों के भीतर बिना रूकावट क्रेडिट संचालित करेगा।

विविध प्रकार के करों का उन्मूलन : वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन लागत पर लगने वाले कई करों को समाप्त करेगा। विविध प्रकार के करों के उन्मूलन से बाजार में अच्छे माल एवं सेवा की प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण सुधार होगा जिसका देश के जीडीपी विकास में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी माना जा रहा है कि जीएसटी भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य को हासिल करने में सहायता करेगा जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने वाली आपूर्ति शृंखला में दुष्प्रभावों को खत्म कर सकता है।

राजस्व वृद्धि : जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व बढ़ेगा क्योंकि वितरण बाजार में मूल्य संवर्धन और बेहतर अनुपालन द्वारा डीलर आधार का विस्तार होगा।

बेहतर पारदर्शिता : जीएसटी व्यवस्था से अप्रत्यक्ष कर ढांचे में पारदर्शिता आयेगी और इससे महंगाई दर घटने का अनुमान है।

जीरो रेटेड निर्यात : जीएसटी व्यवस्था के अधीन वर्तमान सिस्टम की तुलना में निर्यात पूरी तरह जीरो रेटेड निर्यात होगा जहां केन्द्र और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष करों की विभिन्न प्रकृतियों के कारण कुछ करों के रिफंड की अनुमति नहीं है। निर्यात किए गए माल एवं सेवा पर भुगतान किये गये सभी करों या ऐसे निर्यात माल या सेवाओं की आपूर्ति में प्रयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं को रिफंड किया जाएगा।

जीएसटी भारतीय निर्यात के लिए एक वरदान होगा जिससे भुगतान स्थिति के संतुलन में सुधार होगा। निर्यातकों को उनके आवेदन की प्राप्ति रसीद जारी होने के सात दिनों के भीतर उनके दावों के 90 प्रतिशत वैकल्पिक रिफंड के अनुमोदन द्वारा सुविधाजनक बनाया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप नगदी प्रवाह के संबंध में बेहतर स्थिति बनेगी।

एकरूपता का विस्तार : एक समान जीएसटी दरों से पड़ोसी राज्यों और राज्यों के भीतर और अंतर्राज्यीय बिक्री के बीच अलग-अलग दरों के उन्मूलन द्वारा कर चोरी की संभावनाएं कम होंगी। नियमों, प्रक्रियाओं और कर की दरों एक समान होने से इसका सरल एवं आसान अनुपालन सुनिश्चित होगा।

इसमें कॉमन परिभाषा, कॉमन फार्म/प्रारूप, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से कॉमन इंटरफेस होगा जिसके परिणामस्वरूप पूरे तंत्र में कार्यकुशलता एवं एकरूपता आयेगी। इससे एक ही लेन-देन के लिए विविध कराधान और अंतरराज्य विवाद जैसे प्रवेश कर और वर्तमान में लागू ई-वाणिज्य कराधान भी समाप्त हो जायेंगे।

विस्तारित निश्चितता : करदाताओं के पंजीकरण के लिए कॉमन प्रक्रियाएं, करों का रिफंड, कर रिटर्न का एक समान प्रारूप, कॉमन कर आधार, प्रत्येक कार्यकलाप के लिए निश्चित समय-सीमा के साथ माल एवं सेवाओं के वर्गीकरण का कॉमन सिस्टम कराधान प्रणाली की व्यापक निश्चितता बनाएगा।

डिजिटलीकरण का विस्तार : जीएसटी पूरी तरह तकनीक चालित है। करदाताओं का कर प्राधिकरणों के साथ सम्पर्क कॉमन प्लेटफॉर्म (जीएसटीएन) के माध्यम से होगा। इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान आदि के लिए सरलीकृत एवं स्वचालित प्रक्रिया होगी। सभी प्रक्रियाएं चाहे यह पंजीकरण के लिए आवेदन, रिटर्न दाखिल करना, करों का भुगतान करना, रिफंड दावों आदि को भरना हो, सभी जीएसटीएन के माध्यम से ऑनलाइन सम्पादित की जाएंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। पूरे भारत में इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऑनलाइन मिलान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाएगा। यह अनुपालन की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेगा। यह करदाता और कर प्रशासन के बीच एक दूसरे से मिलने की जरूरत को पूर्णतः कम करेगा और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करेगा।

सीबीईसी द्वारा प्रकाशित अनुसार वस्तुओं की सूची जिस पर वर्तमान कर भार की तुलना में जीएसटी के अधीन कर भार कम है, उसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	वस्तु का विवरण
खाद्य उत्पाद	
1.	दूध पाउडर
2.	दही, छाछ, डिब्बाबंद बटर मिल्क
3.	गैर-ब्राडेड प्राकृतिक शहद
4.	अल्ट्रा हाई टैम्परेचर (यूएचटी) दूध
5.	डेयरी पदार्थ
6.	पनीर

7.	काजू
8.	किशमिश
9.	मसाले
10.	चायपत्ती
11.	गेहूं
12.	चावल
13.	आटा
14.	सोयाबीन का तेल
15.	मूंगफली का तेल
16.	ताड़ का तेल
17.	सूरजमुखी का तेल
18.	नारियल का तेल
19.	सरसों का तेल
20.	सूरजमुखी का तेल
21.	अन्य वनस्पति खाद्य तेल
22.	चीनी
23.	खजूर गुड़
24.	मिठाइयां
25.	पास्ता, मकारोनी, माइक्रोनी, नूडल्स
26.	फल एवं सब्जी वस्तुएं और अन्य खाद्य पदार्थ
27.	अचार, मुरब्बा, चटनी
28.	मिठाइयां
29.	केचप एवं सॉस
30.	सरसों का सॉस
31.	टॉपिंग्स, स्प्रैड्स और सॉस

32.	त्वरित भोजन मिश्रण
33.	अन्य दाल बाड़ी (मुनगोडी)
34.	मिनिरल वाटर
35.	बर्फ एवं हिम
इन्फ्रास्ट्रक्चर / ईंधन	
36.	सीमेंट
37.	कोयला
38.	केरोसीन पीडीएस
39.	एलपीजी घरेलू
40.	फलाई ऍश ब्रिक्स एवं फलाई ऍश ब्लॉक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
41.	इंसुलिन
42.	चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे फिल्म
43.	नैदानिक किट एवं अभिकर्मक
44.	चश्मों के शीशे और पिलन्ट बटन
45.	चश्मों के लेंस
46.	चश्मे, करेक्टिव
दैनिक उपयोग की घरेलू वस्तुएं	
49.	अगरबत्ती
50.	टूथ पाउडर
51.	हेयर ऑयल
51.	टूथपेस्ट
53	काजल (काजल पेंसिल स्टिक को छोड़कर)

54.	साबुन
55.	एलपीजी चूल्हा
56.	एल्युमिनियम फॉइल
57.	सिलाई मशीन
58.	केरोसीन प्रेशर लालटेन
60.	एलईडी
61.	खेल का सामान (सामान्य शारीरिक व्यायाम की वस्तुओं एवं उपकरणों को छोड़कर)
62.	फूल झाड़ू
63.	बांस का फर्नीचर
शैक्षिक	
64.	स्कूल बैग
65.	अभ्यास पुस्तिका और नोट बुक
66.	बच्चों के चित्र, ड्राइंग और रंग भरने की बुक
67.	स्टेपलर
68.	प्रिंटर (विविधकार्य प्रिंटरों को छोड़कर)
कपड़े एवं जूते	
69.	सिल्क के कपड़ें
70.	ऊन के कपड़ें
71.	कॉटन के कपड़ें जिसमें कोई अन्य कपड़ा सामग्री नहीं हो
72.	अन्य सूत के कपड़े
73.	मानवनिर्मित रेशे / फाइबर के कपड़े
74.	रेडीमेड गारमेंट और रु. 1000 प्रति पीस से कम मूल्य वाले बिक्री के लिए निर्मित कपड़ा वस्तुएं

75.	रेडीमेड गारमेंट और रु. 1000 प्रति पीस से अधिक मूल्य वाले बिक्री के लिए निर्मित कपड़ा वस्तुएं
76.	रु. 500 प्रति पीस तक आरएसपी वाले जूते
77.	अन्य जूते
सुरक्षा / संरक्षा सामान	
78.	हेल्मेट
79.	टोपी और उसका सामान
80.	रिकार्डर
81.	सीसीटीवी
कृषि उपकरण	
82.	15 एचपी पावर वाले निश्चित गति डीजल इंजन
83.	ट्रैक्टर रियर टायर और ट्रैक्टर रियर टायर ट्यूब
84.	भार तौल मशीनरी (इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर)
दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण	
85.	दिव्यांगों के लिए कार
86.	ब्रैली घड़ियां
मिश्रित	
87.	पतंग
88.	प्लास्टिक केनवास
89.	शिशु वाहक

स्रोत: <http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/pressrelease/press-release-regarding-tax-incidence-16-06-2017.pdf>

23. कम्पनी सचिव की भूमिका

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आचार-संहिता द्वारा शासित कम्पनी सचिव एक स्वतंत्र व्यावसायिक हैं। संस्थान द्वारा जरूरी कोचिंग, परीक्षा, कठिन प्रशिक्षण और निरंतर शैक्षिक प्रोग्रामों के माध्यम से उपलब्ध कराई गए व्यापक दक्षता के बाद कम्पनी सचिव कार्य प्रारंभ करता है। कम्पनी सचिव कोर्स में अन्य विषयों के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर, वैट, केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, लेखाकरण, कॉरपोरेट कानून, वित्तीय कोष और मुद्रा प्रबंधन सहित अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं।

कम्पनी सचिव व्यापार एवं उद्योग में मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और विनियामक तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां कर व्यवस्था काफी जटिल और बहुआयामी है, ऐसे में व्यावसायिकों जैसे वृहद् कर व्यवस्था का अनुपालन, विनियमन आदि के कार्य में कम्पनी सचिव के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है जैसा कि वे कानून और कराधान प्रणाली की बारीकियों को समझने में सक्षम होते हैं।

कम्पनी सचिव कानून की अच्छी जानकारी रखता है। उसके शैक्षिक ज्ञान और प्रायोगिक प्रशिक्षण में थोड़ा सभी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कम्पनी सचिव विशेषकर कानूनी विषयों का ज्ञाता होता है। चाहे यह अप्रत्यक्ष कर कानून हो या जीएसटी कानून, कम्पनी सचिव विभिन्न कानूनों में अपनी समझ एवं दक्षता से इसकी सुचारु व्यवस्था बनाए रखता है। कम्पनी सचिव को पहले से ही पूर्व कर कानूनों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वैट प्रोफाइल के अधीन मान्यता मिली हुई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कम्पनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में से एक के तौर पर मान्यता मिली है। केएमपी के रूप में कम्पनी सचिव के कार्यों में कम्पनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा कम्पनी में लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर जो कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के अंतर्गत अब शामिल किए गए हैं, के बारे में बोर्ड को रिपोर्ट एवं सलाह देना है।

कम्पनी सचिव को निम्नलिखित कराधान क्षेत्रों में मान्यता मिली है :

आयकर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

कराधान कानून

मूल्य संवर्धित कर (वैट)

सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन मान्यता



कम्पनी सचिव
को जीएसटी
पेशेवर के रूप
में कार्य करना

अपीलीय
प्राधिकरण के
समक्ष प्रतिनिधित्व
के लिए
अधिकृत होना

आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत मान्यता

आयकर प्राधिकारियों के सम्मुख प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत

- पेशेवर कम्पनी सचिव आयकर प्राधिकारियों (आयकर अधिनियम, 1961 एवं नियम 50 (2क) की धारा 288(2) के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होता है।
- वर्तमान वैट व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता

वैट ऑडिट

- वैट प्राधिकारियों के सम्मुख प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत
- वैट के अधीन प्रैक्टिस में कम्पनी सचिव की मान्यता

वैट ऑडिट

- कर पेशेवर के रूप में कम्पनी सचिव कर्नाटक वैट नियम, 2005 के अंतर्गत वैट ऑडिट आयोजित कर सकता है। (नियम 168(2)(ख) के साथ पठित नियम 34(1) के अंतर्गत)।
- कर पेशेवर के रूप में कम्पनी सचिव झारखण्ड वैट नियम, 2005 के अंतर्गत वैट ऑडिट आयोजित कर सकता है। {धारा 2(1)}।

वस्तु एवं सेवा कर और वैट प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत

पेशेवर कम्पनी सचिव निम्नानुसार वस्तु एवं सेवा कर और वैट प्राधिकारियों के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए मान्य है :

- तेलंगाना वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- झारखंड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- उत्तराखंड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- गोवा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- गुजरात वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- असम वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- अरुणाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- आंध्र प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

- उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- ओडिशा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- त्रिपुरा राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- सिक्किम वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- मिजोरम वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- नागालैंड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- मेघालय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- कर्नाटक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- पश्चिम बंगाल वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- पंजाब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- केरल राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- पुडुचेरी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- संघ राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लागू, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ और अन्य क्षेत्र)

- पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर नियम, 2005 – {नियम 2(1) (क)(पअ)}
- बिहार वैट अधिनियम, 2005 – {धारा 87(घ)}
- गोवा वैट अधिनियम, 2005 – {धारा 87(ख)}
- कर्नाटक वैट नियम, 2005 – {नियम 168(1)}
- केरल वैट अधिनियम, 2003 – {धारा 86(ड)}
- दमन एवं द्वीप वैट विनियम, 2005 – {विनियम 82(1) (ख)}
- झारखंड वैट नियम, 2006 – {नियम 51(1)}
- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 – {धारा 82(1) (ख)}
- उत्तर प्रदेश वैट नियम, 2008 {नियम 73 के साथ पठित नियम 2 (ड)}

- महाराष्ट्र वैट अधिनियम, 2002 – [धारा 82(1) (ख)]
- अरुणाचल प्रदेश वस्तु कर अधिनियम, 2005 – अरुणाचल प्रदेश वस्तु कर नियम, 2005 के नियम 78(1) (क) के साथ पठित धारा 83(1)
- हरियाणा वैट अधिनियम, 2003 – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2)(अ) के साथ पठित धारा 52(2) (iii) और आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 50 (2क)
- मेघालय वैट नियम, 2005 – नियम (1) (च) (iv)
- राजस्थान वैट नियम, 2006 – आयकर नियम, 1962 के नियम 50 (2क) के साथ पठित नियम 62(ख)

सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत मान्यता

अग्रिम कानूनी प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत

पेशेवर कम्पनी सचिव सेवा कर के अंतर्गत अग्रिम कानूनी प्राधिकरणों के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता प्राप्त है। [केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 35क्यू की उप-धारा (2) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96डी]।

प्रमाणित सुविधा केन्द्र

पेशेवर कम्पनी सचिव सीबीईसी और आईसीएआई के बीच एमओयू द्वारा सीबीईसी के केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर ("एसीईएस") प्रोजेक्ट के ऑटोमेशन के अधीन प्रमाणित सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए अधिकृत है।

कम्पनी सचिव को जीएसटी पेशेवर के रूप में कार्य करना

- सीजीएसटी नियम के नियम 83 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अनुसरण में, कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह वस्तु एवं सेवा कर पेशेवर के तौर पर नामांकन के लिए योग्य है।

अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकरण

- केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 116 के अंतर्गत, एक कम्पनी सचिव इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही से जुड़े अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का पात्र है।

जीएसटी का स्पैक्ट्रम व्यापक है और अधिकतर औद्योगिक एवं कॉरपोरेट इकाइयां जीएसटी के लिए एक सेवा प्रदाता/वस्तु प्राप्तकर्ता, आयातक, सेवा निर्यातक/वस्तु या अन्य के तौर पर शामिल हैं। तथापि ये मूल्यांकनकर्ता विविध पृष्ठभूमि (ग्रामीण, शहरी, साक्षर, असाक्षर, कॉरपोरेट्स, व्यक्तिगत आदि) से हैं, इसलिए इन्हें कर से जुड़े मामलों, न्यायिक उद्घोषणाओं और परामर्श एवं

सलाहकार सेवाओं के तौर पर विधिक बातों की जानकारी देने के लिए कम्पनी सचिव जैसे व्यावसायिकों की आवश्यकता है जो इनका बेहतर अनुपालन करा सकें।

कम्पनी सचिव जीएसटी से जुड़े कानूनों के अनुपालन की दिशा में सलाहकार और प्रशिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और यह सामान्य व्यवसाय समुदाय एवं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक जरूरी व्यक्ति है। कम्पनी सचिव क्लाइंट को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर सकता है :

i) सलाहकार सेवाएं या सामरिक सलाहकार

कम्पनी सचिव कानूनों की व्यापक समीक्षा कर सकता है और व्यवसाय इकाइयों को पूरा मागदर्शन और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है। कम्पनी सचिव की अपनी सेवाएं अधिक अनुकूल है क्योंकि उसे कानून का अच्छा ज्ञान होता है और उसके पास बेहतर संवाद कौशल होता है।

ii) कर योजना

कम्पनी सचिव कानूनों के प्रभावों और इसके विभिन्न विकल्पों को समझने में सक्षम होता है और यह जीएसटी की उचित कर योजना में सहायक हो सकता है।

iii) प्रक्रियागत अनुपालन

प्रक्रियागत अनुपालन में पंजीकरण, रिटर्न भरना, करों का भुगतान, निर्धारण आदि शामिल है। जैसा कि कम्पनी सचिव पहले से ही विभिन्न अन्य कानूनों के अधीन एक अनुपालन अधिकारी की भूमिका निभा रहा है, तो वह जीएसटी के अधीन भी इसमें सहायता कर सकता है।

iv) बुक / रिकार्ड रखना

अन्य कर कानूनों की तरह ही जीएसटी में भी क्रेडिट इनपुट / इनपुट सेवाओं और इसके उचित उपयोग आदि का उचित रिकार्ड और तरीके से रखरखाव करना होगा। कम्पनी सचिव के पास ऐसे कार्य को करने की दक्षता होती है।

v) अपील एवं प्रतिनिधित्व

कम्पनी सचिव विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष प्रायोगिक तौर पर गोपनीयता से प्रतिनिधित्व करने की सेवाएं प्रदान कर सकता है। कानून की अच्छी जानकारी होने के कारण कम्पनी सचिव अपीलीय कार्य क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकता है।

vi) जांच

व्यावसायिक कौशल में कानूनी दस्तावेजों की जांच और समझौतों आदि की ड्राफ्टिंग भी जरूरी है। कम्पनी सचिव को इस क्षेत्र में अच्छा ज्ञान होता है और वह कानूनी दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग जैसे कारण बताओ नोटिस का जवाब देना, अपीलीय मंचों के सम्मुख उपस्थित होना, न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व करना एवं विचार एवं स्पष्टीकरण देने में सहायता करता है।

देश में नई कर व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए यह जरूरी है कि विनियामकों को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक दक्ष एवं कुशल व्यावसायिक हों जिससे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया जा सकें। कम्पनी सचिव जो लगभग सभी तरह के कानूनों का जानकार होता है और उसके पास लेखाकरण का अच्छा ज्ञान होता है, वे जीएसटी कानूनों के अंतर्गत विनियामक अनुपालन को संचालित करने के लिए सक्षम व्यावसायिक हैं। वे कुशल व्यावसायिक होते हैं जो व्यवसाय घरानों को विधिक, वित्तीय और अनुपालन क्षेत्रों के बारे में समझाते हैं और ये व्यावसायिक भारत के समग्र विकास को गति देने के लिए जीएसटी को एक 'अच्छी एवं सरलीकृत कर' व्यवस्था बनाने में सहायता करेंगे।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की पहलें

वस्तु एवं सेवा कर समाचार पत्रिका

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अधीन अपनी क्षमता निर्माण पहल और भारत सरकार के "एक राष्ट्र—एक कर" उद्देश्य को पूरा करने के एक भाग के तौर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को समर्पित एक मासिक समाचार पत्रिका प्रारंभ की है। जीएसटी समाचार पत्रिका का उद्देश्य जीएसटी के अधीन नवीनतम जानकारियों एवं समाचारों को व्यापक स्तर पर कवर करना, जीएसटी पर संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक झलक दिखाना और लेखों, एफएक्यू तथा अन्य संबंधित सामग्री के साथ आगे होने वाले कार्यक्रमों की सूची को शामिल करना है।

शैक्षिक श्रृंखला

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने जीएसटी कानूनों की जानकारी को बढ़ाने के लिए सदस्यों और छात्रों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर दैनिक शैक्षिक श्रृंखला भी प्रारंभ की है।

जीएसटी में रिसोर्स व्यक्तियों के तौर पर सूचीकरण

भारत में जीएसटी के सरल कार्यान्वयन में सहायता देने के उद्देश्य से संस्थान जीएसटी में ऐसे रिसोर्स व्यक्तियों का सूचीकरण करने की प्रक्रिया में है जो जीएसटी व्यवस्था के अधीन तथ्यों, अवसरों, चुनौतियों और आगे की कार्यवाहियों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी देने में सहायता करेंगे और नई कर व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पहलों को प्रोत्साहित करेंगे।

जीएसटी कोर्स आरंभ करना

संस्थान ने जीएसटी पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया है। कोर्स से संबंधित विवरण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

जीएसटी प्वाइंट

जीएसटी प्वाइंट एक ऐसा मंच है जहां उपभोक्ता, विनिर्माता, व्यापारी, एमएसएमई, आम जनता, व्यावसायिक आदि वस्तु एवं सेवा कर कानूनों को समझने और इसके कार्यान्वयन में आ रही परेशानियों, चुनौतियों एवं किसी भी पूछताछ का उत्तर पा सकते हैं।

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद दैनिक कार्यों में हितधारकों को आ रही परेशानियों एवं चुनौतियों के बारे में पूछताछ फोन पर प्राप्त की जाएगी और उसका उत्तर दिया जाएगा। हेल्पलाइन सप्ताह में दो बार, दो घंटे के लिए खुली रहेगी और परेशानियों का निपटान विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। पूछताछ 011-45341095 पर की जा सकती है। इसके साथ ही संस्थान हितधारकों की परेशानियों के निपटान के लिए पूरे देश में अपने क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों में प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को भौतिक जीएसटी प्वाइंट काउंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है और इसी समय मुख्यालय में भी कॉल-इन सत्र आयोजित किया जाएगा।